सर्वशिक्षा अभियान परियोजना

(वर्ष 2001-2010)

विकास खण्ड- करछना

अनुक्रमणिका

		पृष्ठ संख्या
1.	विकास खण्ड का परिदृश्य	1-3
2.	शिक्षा की वर्तमान स्थिति	4–10
3.	योजना निर्माण प्रक्रिया	11–15
4.	लक्ष्य एवं उद्देश्य	16–18
5.	समस्याएँ एवं रणनीतियाँ	19–23
6.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार (औपचारिक)	24–31
7	शिक्षा की पहुँच का विस्तार (अनौपचारिक)	32–40
8.	ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम	41–64
9.	संस्थागत क्षमता विकास	65–69
10.	परियोजना प्रबन्धन एवं अनुश्रवण	70–74
11.	**लागत-**	
	11.1 प्रमुख हस्तक्षेपों में वर्षवार प्रस्तावित व्यय	75
	11.2 निर्माण कार्य एवं प्रबन्धन में वर्षवार प्रस्तावित व्यय	76
	11.3 प्राजेक्ट कास्ट	77–83

अध्याय-1

विकास खण्ड का परिचय

पृष्ठभूमि–

जनपद इलाहाबाद के मुख्यालय से 20 कि0मी0 दूर जमुनापार क्षेत्र में वि0ख0 करछना की सीमा प्रारम्भ होती है करछना विकास खण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्रफल 24193 हेक्टेयर है। इस वि0खं0 के उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में टोंस नदी, दक्षिण में कौंधियाग वि.खं0 एवं पश्चिम में चाका वि0खं0 स्थित है।

वि० खं0 के अधिकांश भाग में कृषि कार्य होता है । कृषकों के अधिकांश बच्चे परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने आते हैं । 70 प्रतिशत लोग कृषि कार्य करते हैं शेष निजी व्यवसाय करते है एवं श्रमिक है। सिंचाई के लिए नहरें एवं ट्यूबवेल की सुविधा है ।

प्रशासनिक व्यवस्था–

करछना वि0खं0 11 न्याय पंचायतों में बांटा गया है जिसमें कुल 71 ग्राम पंचायत एवं 131 राजस्व ग्राम है। 11 राजस्व ग्राम गैर आवाद है। बस्तियों की संख्या 371 है।

सारणी-1.1

प्रशासनिक संरचना

क्रं० सं०	न्याय पंचायत का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	राजस्व ग्राम	बस्तियां/मजरे
1.	करछना	6	10	40
2.	घटवा	6	8	19
3.	खोड़ेडीह	6	17	26
4.	पनारा	4	6	25
5.	डीहा	8	16	44
6.	बसहा	5	13	30
7.	बरदहा	8	11	25
8.	रोकड़ी	8	11	33
9.	खाई	5	13	20
10	वीरपुर	8	16	54
11.	घरवारा	7	10	55
	योग-	71	131	371

ग्राम पंचायतवार जनसंख्या का विवरण इस प्रकार :-

सारणी-1.2

जनसंख्या का विवरण एवं 2001 की अनुमानित जनसंख्या

क्र. सं.	न्याय पंचायत	1991 की जनसंख्या			2001 की अनुमानित जनसंख्या		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1.	करछना	9746	9077	18823	12767	11890	24657
2.	घटवा	6112	4743	10855	8007	6213	14220
3.	छोटेडीह	6417	5395	11812	8406	7067	15473
4.	पनासा	6345	5195	11540	8312	6805	15117
5.	डीहा	9142	7798	16077	11967	10215	22191
6.	बसहीं	8791	7286	16077	11516	9545	21061
7.	बरदहा	8003	7079	15082	10483	9273	19756
8.	रोकड़ी	7782	7550	15332	10698	9891	6238
9.	खाई	5936	4762	10698	10698	7776	6238
10.	वीरपुर	10130	8719	18849	13270	11422	24692
11.	घरवारा	9818	8806	18624	12862	11536	24398
	योग–	88222	76410	164632	115578	10095	215673

1991 में कुल जनसंख्या 164632 थी जिनमें 88222 पुरुष तथा 76410 महिलायें हैं।

सन् 2001 की अनुमानित आबादी का आगणन 2.29 प्रतिशत वार्षिक आबादी वृद्धि दर से किया गया है।

सारिणी-1.3

न्याय पंचायत वार अनुसूचित जाति की जनसंख्या

क्रमांक	न्याय पंचायत	जनगणना 1991 की जनसंख्या	2001की अनुमानित जनसंख्या
1.	करछना	3294	4311
2.	घटवा	2121	2779
3.	छोटेडीह	2400	3144
4.	पनासा	1724	2558
5.	डीहा	2229	2920
6.	बसहीं	2384	3123
7.	बरदहा	4000	5240
8.	रोकड़ी	4558	5917
9.	खाई	2242	2937
10.	वीरपुर	2765	3622
11.	घरवारा	2574	3372
	योग–	30290	39977

इस विकास खण्ड में अल्पसंख्याक समुदाय की बहुत कम बस्तियां है। निम्नांकित ग्रामों में अल्पसंख्याक समुदाय निवास करता है :-

1. करेहा
2. गमपुर
3. मुंगारी
4. गंधियाँव
5. पचदेवरा
6. कैथी
7. बसही
8. पुरैनी

इन गांवों में अल्पसंख्याकों की आबादी अधिकतर 70% है यहाँ पर विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है। विकास खण्ड में 6 से 11 वय वर्ग बच्चों की कुल संख्या 33036 है जिनमें 18313 बालक 14723 बालिकाएं हैं। वि0 खं0 में 11 से 14 वय वर्ग बच्चों की कुल संख्या 12052 है जिसमें 7322 बालक तथा 4730 बालिकाएं हैं। न्यायपंचायत वार बच्चों की कुल संख्या तथा विद्यालय में जाने वाले बच्चों की संख्या एवं न जाने वाले बच्चों की संख्या का विस्तृत विवरण उपलब्ध है।

अध्याय-2

शैक्षिक परिदृश्य

शिक्षा की वर्तमान स्थिति–

इस विकासखण्ड में यद्यपि शिक्षा की अनेक सुविधायें है तथापि अभी भी कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ विद्यालय की सुविधा सुलभ नहीं है। विभिन्न प्रकार के विद्यालयों का विवरण इस प्रकार है ।

सारिणी 2.1

शैक्षिक संस्थायें

क्र. स.	न्याय पंचायत का नाम	प्राथमिक विद्यालय			उच्च प्रा.विद्यालय				हाई स्कूल		इण्टर	
		परिषदीय	मा. प्राप्त	गर मा. प्राप्त	परिषदीय	मा. प्राप्त	गर मा. प्राप्त	शासकीय	मा. प्राप्त	गर मा. प्राप्त	मान्यता प्राप्त	गर मा. प्राप्त
1.	करछना	11	1	8	1	2	7	1	-		2	-
2.	घटवा	7	2	3	1	2	3	-	-	-	1	-
3.	छेड़ेडीह	10	1	4	1	1	2	-	-	-	1	-
4.	पनासा	7	-	3	2	-	1	-	-	-	-	-
5.	डीहा	12	-	3	3	1	1	-	-		-	-
6.	बसहा	11	-	4	1	-	-	-	-		-	-
7.	बरदहा	8	-	3	1	-	-	-	1	-	1	-
8.	रोकड़ी	9	-	3	2	-	-	-	-		-	-
9.	खांई	7	-	3	-	1	2	-	-		-	-
10	बीरपुर	11	-	3	2	-	1	-	-	-	-	-
11	धरवार	13	1	3	2	1	-	-	-		-	-
	योग	106	5	40	16	8	7	1	1	0	5	0

आबादी को देखते हुये विद्यालयों की संख्या पर्याप्त नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकास खण्ड में 10 प्राथमिक विद्यालय 42 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 56 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की आवश्यकता होगी। सेवित, असेवित बस्तियों की संख्या न्याय पंचायत वार निम्नवत् है–

सारिणी 2.2
सेवित तथा असेवित बस्तियाँ

क्रमांक	न्याय पंचात का नाम	सेवित बस्तियों की संख्या	असेवित बस्तियों की संख्या
1.	करछना	28	12
2.	घटेवा	07	12
3.	धोड़ेडीह	20	06
4.	पनासा	07	18
5.	डीहा	30	14
6.	बसहीं	26	04
7.	बरदहा	18	07
8.	गेकड़ी	09	24
9.	खाई	13	07
10.	बेरापुर	46	08
11.	परवारा	53	03
	योग	256	115

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत विकास खण्ड करछना में प्राथमिक शिक्षा के लिये अत्यधिक शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं। विकास खण्ड करछना में बी.आर.सी. स्थापित किया गया है जहां एक समन्वयक एवं एक सहायक समन्वयक और एक परिचारक की व्यवस्था की गई है।

विकास खण्ड करछना में 11 न्याय पंचायत है। प्रत्येक न्याय पंचायत में एक-एक एन. पी.आर.सी खोले गये हैं। प्रत्येक एन.पी.आर.सी. में एक-एक संकुल प्रभारी की व्यवस्था की गई है। इनका कार्य न्याय पंचायत में स्थित समस्त विद्यालयों को सपोर्ट देना गुणवत्ता सुधार हेतु सुझाव, छात्र नामांकन तथा ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण, परिवार शैक्षिक सर्वेक्षण एवं स्कूल मान चित्रण करना इत्यादि सभी कार्य न्याय पंचायत संकुल द्वारा सम्पादित किये जा रहे हैं। बी. ई.पी. परियोजना के अंतर्गत 1 बी.आर.सी. 11 एन.पी.आर.सी. खोले गये ।

बी.ई.पी. परियोजना के पूर्व तथा वर्तमान स्थिति द्वारा विद्यालयीय सुविधाओं को निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित किया गया है–

सारणी 2.3

यू.पी.बी.ई.पी. के अंतर्गत शैक्षिक सुविधाओं में प्रगति

स्थिति	विद्यालय संख्या		अध्यापक संख्या		शौचालय विहीन		हैण्ड पम्प विहीन		अतिरिक्त कक्षा कक्ष	
	प्रा.	उ.प्रा.	प्रा.	उ.प्रा.	प्रा.	उ.प्रा.	प्रा.	उ.प्रा.	प्रा.	उ.प्रा.
परियोजना पूर्व	88	10	203	51	88	10	88	10	-	-
परियोजना पश्चात	106	16	281	78	8	1	29	5	128	10

उपर्युक्त सुविधाओं के फलस्वरूप छात्र नामांकन में वृद्धि तथा ड्राप आउट में आशातीत कमी हुयी है जो इस प्रकार है :-

सारणी 2.4 अ

नामांकन तथा ड्राप आउट

स्थित	नामांकन		ड्राप आउट दर	
	प्रा.	उ.प्रा.	प्रा.	उ.प्रा.
परियोजना के पूर्व	18380	1828	60	30
परियोजना के पश्चात	21780	2531	50	22

साक्षरता–

विकास खण्ड की साखरता दर 1991 के आकलन के अनुसार विकास खण्ड की कुल साक्षरत 31 प्रतिशत है जिसमें पुरुषों की साक्षरता 48 प्रतिशत महिला की साक्षरता दर 13 प्रतिशत है। अनु० जाति की साक्षरता अपेक्षाकृत बहुत कम है। जिसे निम्न सारणी 2.4 ब में दर्शाया गया है :-

विकास खण्ड करछना साक्षरता दर

पुरूष	महिला	योग
48%	13%	31%

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत करावे गये परिवार सर्वेक्षण आकड़ों के अनुसार 6-11 वय वर्ग के बच्चों की कुल संख्या 33036 है जिसमें से बालक 18313 तथा बालिकाएँ 14723 है। इस विकास खण्ड में 11-14 वय वर्ग के बच्चों की कुल संख्या 12052 है जिसमें बालक 7322 तथा बालिकाएँ 4730 है। जिसे निम्नांकित सारणी संख्या 2.5 में दशार्या गया है :-

सारणी-2.5

संकलित बाल गणना 6-14 वय वर्ग वर्ष 2000-01

क्र०स०	नाम न्याय पंचायत	न्याय पंचायत में स्थित		6-11 वय वर्ग के बच्चे									11-14 वय वर्ग के बच्चे								
		ग्राम पंचायतों की संख्या	राजस्व ग्रामो की संख्या	कुल बच्चों की संख्या			विद्यालय जाने वाले बच्चे			विद्यालय न जाने वाले बच्चे			कुल बच्चों की संख्या			विद्यालय जाने वाले बच्चे			विद्यालय न जाने वाले बच्चे		
				बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	[illegible]	6	10	2742	2163	4905	2544	1923	4467	198	240	438	1103	939	2042	1027	735	1762	76	204	280
2.	[illegible]	6	8	1213	945	2158	1159	862	2021	54	83	137	443	285	728	401	213	614	42	72	114
3.	[illegible]	8	11	1420	1248	2668	1345	916	2261	75	332	407	785	586	1371	740	482	1222	15	104	119
4.	[illegible]	8	11	1524	1240	2764	1456	1151	2607	68	89	157	522	366	888	471	299	770	51	67	118
5.	[illegible]	7	10	2090	1707	3797	1986	1553	3539	104	154	258	604	436	1040	580	379	959	24	57	81
6.	[illegible]	5	13	1090	911	2001	1054	884	1938	36	27	63	368	298	666	348	267	615	20	31	51
7.	[illegible]	8	16	1886	1571	3457	1759	1379	3138	127	192	319	527	362	889	465	237	702	62	125	187
8.	[illegible]	6	17	1475	1220	2695	1434	1139	2573	41	81	122	584	366	950	526	254	780	58	112	170
9.	[illegible]	8	16	2218	1614	3832	2101	1410	3511	117	204	321	1393	436	1829	1238	20	1258	155	416	571
10.	[illegible]	1	6	894	802	1696	863	789	1652	31	13	44	371	215	586	367	215	582	4	0	4
11-	[illegible]	5	13	1761	1302	3063	1604	1170	2774	157	132	289	622	441	1063	586	380	966	36	61	97
	योग	71	131	18313	14723	33036	17305	13176	30481	1008	1547	2555	7322	4730	12052	6749	3481	10230	573	1249	1822

यद्यपि सभी के लिए शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पर्याप्त शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान की गयी है । परन्तु फिर भी बच्चों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की कमी है और साथ ही साथ कक्षा कक्ष व अन्य सुविधाएँ भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नही है । केवल चार विद्यालयों को छोडकर किसी भी विद्यालय में चाहरदीवारी नहीं है।

सारिणी 2.5 बी

विद्यालयों में भौतिक सुविधायें (परिषदीय प्रा0 वि0 1.1.2001 की स्थिति)

(1) प्राथमिक स्तर :

प्राथमिक विद्यालय

एक कक्षीय	-	1
दो कक्षीय	-	18
तीन कक्षीय	-	46
चार कक्षीय	-	19
पाँच कक्षीय	-	15
पाँच से अधिक	-	06
मरम्मत योग्य विद्यालय	-	38
लघु मरम्मत योग्य विद्यालय	-	30
वृहद मरम्मत योग्य	-	08
शौचालय युक्त	-	98
शौचालय विहीन	-	08
शौचालय की आवश्यकता	-	08
हैण्ड पम्प युक्त	-	77
हैण्ड पम्प विहीन	-	29
हैण्ड पम्प की आवश्यकता	-	29
चाहरदीवारी युक्त	-	04
चाहरदीवारी विहीन	-	102
चहारदिवारी की आवश्यकता	-	102

(1) उच्च प्राथमिक स्तर :

कुल विद्यालयों की संख्या	-	16		
भवन युक्त	-	16		
मरम्मत योग्य 5	लघु मरम्मत	4	वृहद मरम्मत	1
एक कक्षीय विद्यालय	-	1		

दो कक्षीय विद्यालय - 2

तीन कक्षीय विद्यालय - 1

चार कक्षीय विद्यालय - 6

पाँच कक्षीय विद्यालय - 2

पाँच से अधिक कक्ष वाले - 3

(वीरपुर विद्यालय भवन अपूर्ण है 60 प्रतिशत कार्य हो चुका है)

1. शौचालय युक्त 15

शौचालय विहीन 1

2. हैण्डपम्प युक्त 11

हैण्डपम्प विहीन 5

3. चहारदीवारी युक्त 0

चहारदीवारी की आवश्यकता 16

नामांकन तथा शालात्याग दर–

विकास खण्ड करछना में प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों का शुद्ध नामांकन अनुपात 92% तथा अनुसूचित जाति के बच्चों का अनुपात 90.4% है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों का शुद्ध नामांकन अनुपात 82.9% तथा अनुसूचित जाति के बच्चों का शुद्ध नामांकन अनुपात 78.4% है। विस्तृत विवरण सारणी 2.6 एवं सारणी 2.7 में अंकित है।

सारिणी नं. 2.6

प्राथमिक स्तर

विकास खण्ड का शुद्ध नामांकन अनुपात			अनुसूचित जाति		
बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
94.5%	89.5%	92.0%	93.0%	87.6%	90.4%

सारिणी नं. 2.7

उच्च प्राथमिक स्तर

विकास खण्ड का शुद्ध नामांकन अनुपात			अनुसूचित जाति		
बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
92.2%	73.6%	82.9%	87.3%	69.5%	78.4%

सारिणी नं. 2.8

विकास खण्ड करक्षना का शालात्याग दर

ड्राप आउट दर कुल			अनुसूचित जाति		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
49.2	51.1	49.9	53	52	53

प्रशासनिक व्यवस्था

विकास खण्ड करछना में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में एक सा0वे0शि0अ0 नियुक्त है। अकादमिक सहयोग के रूप में एक संसाधन केन्द्र हैं तथा 11 N.P.R.C. हैं। प्रत्येक विकासखण्ड संसाधन केन्द्र में 01 समन्वयक और 01 सहायक समन्वयक है। जबकि प्रत्येक N.P.R.C. में एक-एक संकुल प्रभारी है।

विकास खण्ड संसाधन केन्द्र पर नियमित रूप से अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम किये जाते हैं। उ.प्र. बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सभी प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को समान्य प्रशिक्षण भाषा अनुपूरक सामग्री प्रशिक्षण, गणित, तथा पर्यावर्णीय अध्ययन प्रशिक्षण दिया जा चुका है। एन.पी.आर.सी. समन्वयक द्वारा अपने न्याय पंचायत में स्थित प्रत्येक विद्यालय का एक माह में दो बार आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है।

विद्यालय की समस्त प्रबन्धकीय व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विकास खण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षण सत्र में दो बार सम्पूर्ण तथा एक बार आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है।

यद्यपि परियोजना के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति की गई है तथापि छात्रों की संख्या में वृद्धि के कारण वर्तमान विद्यालयों में शिक्षकों की कमी अब भी है। विद्यालयों में बच्चों के ठहराव को सुनिश्चित करने के लिये बाल पोषाहार योजना चलाई जा रही है। अनुसूचित जाति/जनजाति अल्पसंख्यक/पिछड़ी जाति/ विकालांग बच्चों को छात्रवृत्ति वितरण की व्यवस्था है। इससे नामांकन के साथ-साथ विद्यालय में ठहराव की भी वृद्धि हुई है। बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा सभी वर्गों की समस्त बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण किया जाता है। इससे बालिकाओं के नामांकन ठहराव में आशातीत सफलता मिली है। विद्यालयों में छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की कमी तथा अनेक असेवित क्षेत्र हैं, जिनका विवरण दिया जा चुका है।

अध्याय-3

योजना निर्माण प्रक्रिया

सर्व शिक्षा अभियान को एक ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में लिया गया है जिसमें 6-14 वय वर्ग के सभी बालक-बालिकाओं को प्रारम्भिक शिक्षा सुलभ की जानी है। यह कार्य तभी सम्भव हो पाएगा जब इसमें जन-जन की सहभागिता सुनिश्चित होगी। इस भावना को मूर्तरूप देने के लिए विकास खण्ड-करछना में गाँव स्तर तक सर्वेक्षण कार्य, विचार गोष्ठियाँ तथा जन सम्पर्क कार्यक्रम किए गए। इन कार्यक्रमों के द्वारा गाँव की आवश्यकताओं को चिन्हित किया गया। साथ ही साथ ऐसे बालक बालिकाओं की पहचान की गयी जो या तो विद्यालय कभी नहीं गए हैं या कुछ दिनों तक विद्यालय में जाने के पश्चात शालात्याग कर दिया है। इस अभियान को विकास खण्ड-करछना में जनवरी 2001 के प्रथम सप्ताह में प्रारम्भ किया गया।

जिलाधिकारी इलाहाबाद तथा मुख्य विकास अधिकारी, इलाहाबाद के मार्ग दर्शन में शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों (उपशिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक, निदेशक, मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद) के जोनल अधिकारी नियुक्त किया गया। खण्ड विकास अधिकारियों तथा स.वे.शि. अधिकारियों वे परियोजना अधिकारियों को नोडल अधिकारियों के रूप में कार्य करने का दायित्व सौंपा गया। इन अधिकारियों के साथ बी.आर.सी. समन्वयक, एन.पी.आर.सी0 समन्वयक तथा जन प्रतिनिधियों और अन्य विभागों के सहयोग से गाँव स्तर, न्याय पंचायत स्तर तथा विकास खण्ड स्तर पर अनेक जनजागरण कार्यक्रम, विचार गोष्ठियाँ तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इनके माध्यम से निम्नलिखित आवश्यकताएँ चिन्हित हुई :-

1. विद्यालय असेवित क्षेत्र
2. शालात्यागी तथा शाला में कभी न गए बच्चों की संख्या एवं उनके न जाने का कारण
3. विद्यालय भवनों तथा उनमें भौतिक संसाधनों की स्थिति
4. विद्यालय कार्यक्रमों में जनसहभागिता के आभाव के कारण
5. अपवंचित वर्ग तथ बालिकाओं की शिक्षा सम्बन्धी बाधाएँ इत्यादि

विभिन्न स्थानों पर किए गए कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण संलग्न है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सभी के लिए के शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत की गयी। जनपद इलाहाबाद से सम्बन्धित फाइनल एसेसमेंट स्टडी, बेसलाईन सर्वे तथा सीमैट, इलाहाबाद द्वारा कक्षा शिक्षण सम्बन्धी किए गए शोध कार्यों का अध्ययन किया गया। इन सब से

प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर करछना विकास खण्ड की व्यवहारिक, तथा कास्टइफेक्टिव कार्य योजना का निर्माण किया गया। योजना निर्माण में इस बात पर भी बल दिया गया है कि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम प्रयोग किया जाए।

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से सम्बन्धित समस्याओं तथा मुद्दो के विषय में ग्राम स्तर, न्याय पंचायत स्तर, की जानकारी प्राप्त करने हेतु विभिन्न स्तरों पर बैठकें की गई । समाज के विशिष्ट वर्गों, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों, सदस्य क्षेत्रपंचायत, ब्लाक प्रमुख तथा ग्राम शिक्षा समिति तथा शिक्षा से जुड़े हुए अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों से विचार विमर्श किया गया।

ग्राम पंचायतों की खुली बैठकों में खण्ड विकास अधिकारी, निदेशक मनोविज्ञान शाला, इलाहाबाद, ब्लाक प्रमुख करछना द्वारा बैठकों में उपस्थित रहकर मार्गदर्शन प्रदान करने तथा समस्याओं के चिन्हीकरण में सहयोग दिया गया। परिषदीय छात्रों द्वारा शिक्षकों के साथ रैली निकाली गई, जिसको उपजिलाधिकारी ने सम्बोधित किया। विभिन्न बैठकों का विवरण सारणी में अंकित हैं–

नियोजन प्रक्रिया में सहभागिता हेतु कार्यवाही का विवरण - विकास खण्ड करछना, इलाहाबाद

क्र०	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण व संख्या	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उसका संक्षिप्त विवरण	
				चर्चित समस्याएँ	अपेक्षाएँ/सम्भावित समाधान
1.	31.12.2000	उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद	केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार, राज्य शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी जिला पंचायत अध्यक्ष बे.शि.अ., उप बे.शि.अ., सहा.बे.शि.अ., समन्वयक, जनप्रतिनिधि, शिक्षक प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान आदि।	1. वर्तमान समय में 1:40 के अनुपात में शिक्षकों की कमी। 2. सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की कार्ययोजना। 3. सर्वशिक्षा अभियान में 6-14 वयवर्ग के सभी बच्चों को कक्षा 5 व 8 तक शिक्षा की आवश्यकता। 4. असेवित बस्तियों में विद्यालय की आवश्यकता।	1. सर्व शिक्षा अभियान में 1.40 के अनुपात में शिक्षकों की कमी को ग्राम पंचायत की खुली बैठक में शिक्षा मित्र की नियुक्ति कर पूर्ण करना। 2. सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए कार्ययोजना बनाकर कार्य करना। 3. 6-14 वय वर्ग के बच्चों को चिन्हित कर विद्यालयों में नामांकन किया जाये
2.	8.1.2001	खण्ड विकास अधिकारी मुख्यालय करछना, इलाहाबाद	जोनल, नोडल अधिकारी समन्वयक,बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समस्त प्रा./उ.प्रा.वि. के समस्त अध्यापक ग्राम प्रधान, बी.डी.सी. सदस्य, जनप्रतिनिधि, स्वयं सेवी संस्थाएँ, अध्यक्ष क्षेत्र समिति सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी आदि	1. शतप्रतिशत बच्चों का पुनः विद्यालयों में नामांकन पर बल। 2. 6-14 वय वर्ग बच्चों की बालगणना करना। बालगणना के पश्चात विद्यालय में नामांकन कराने की आवश्यकता। 3. 6-14 वयवर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को चिन्हित करना। 4. अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागृति करना।	1. जो बच्चे विद्यालय में नामांकित हैं तथा बिना कक्षा 5 की शिक्षा पूर्ण किए बीच ही में शतप्रतिशती हो जाते हैं उनका विद्यालय में ठहराव अनिवार्य रूप से किया जाए। 2. ग्राम पंचायत की खुली बैठक तथा शिक्षा मित्र चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात पुनः 6-14 वय वर्ग के बच्चों की बालगणना कार्य करके विद्यालय न जाने बच्चों को चिन्हित किया जाये जिसमें अभिभावक व जन सहयोग लिया जाये। 3. चिन्हित बच्चों का विद्यालयों में नामांकन के लिए अभिभावकों का सहयोग प्राप्त करना।

क्र०	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण व संख्या	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उसका संक्षिप्त विवरण	
				चर्चित समस्याएँ	अपेक्षाएँ/सम्भावित समाधान
3.	10.1.2001	समस्त एन.पी. आर.सी. विकास क्षेत्र करछना	एन.पी.आर.सी. के अन्तर्गत समस्त विद्यालयों के प्रा.अ./स.अ., समस्त क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि समन्वयक, स.स.बी.आर.सी. आदि	1. सभी ग्राम पंचायत की खुली बैठक तिथि की घोषणा। 2. बैठक में जन सहभागिता निश्चित करना। 3. खुली बैठक के लिए विस्तृत प्रचार प्रसार पर बल। 4. ग्राम पंचायत में शिक्षा के महत्व पर चर्चा	1. संकुल के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों की खुली बैठक की तिथियों को घोषित किया गया। 2. खुली बैठक में ग्राम पंचायत के अन्तर्गत रहने वाले सभी वर्ग के लोगों की सहभागिता से चिन्हित बच्चों के नामांकन में सुविधा होगी। 3. खुली बैठक के लिए भली भांति ग्राम वासियों को जानकारी देनी चाहिए जिससे सभी का प्रतिभ अनिवार्य रूप से हो।
4.	11.1.2001	बृज मंगल सिंह इण्टर कालेज गमपुर	समस्त शिक्षक/स.बे.शि.अ./ग्राम प्रधान/माननीय सदस्य क्षे.ग्रा. पंचायत एवं जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत, क्षेत्र समिति, खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र यमुनापार।	6-14 उम्र के ऐसे समस्त बालक बालिकाओं को चिन्हित करने हेतु समस्त ग्राम पंचायतों की खुली बैठके आयोजित करना तथा शतप्रतिशत नामांकन करने हेतु वातावरण सृजित करना।	1. विद्यालयी उम्र के शतप्रतिशत बच्चों का विद्यालय में नामांकन। 2. गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना।
5.	22.1.2001	राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान इलाहाबाद	समस्त स.बे.शि.अ., नोडल एवं जोनल अधिकारी समन्वयक बी.आर.सी. तथा एन.पी. आर.सी., ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी	सर्व शिक्षा अभियान की मूलभूत समस्याएँ, परसेपेक्टिव प्लान कर निर्माण एवं समस्याओं के निराकरण पर विचार	न्याय पंचायतवार शैक्षिक सुविधा एवं आवश्यकताओं का निर्धारण करना।
6	12.1.2001 से 5.2.2001	समस्त 49 ग्राम पंचायतों के मुख्यालय पर स्थित प्रा.वि.	ग्राम वासी, ग्रामप्रधान, स.बे.शि.अ./नोडल अधिकारी/समन्वयक बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी, मार्गदर्शन हेतु कतिपय ग्राम पंचायतों में ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, करछना, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी आदि	245 स्तर पर 6-14 उम्र के ऐसे बच्चों का चिन्हीकरन जो विद्यालय नहीं जाते, शिक्षक कमी, साज सज्जा, कक्षा कक्ष आवश्यकता एवं ई.सी.जी. विद्यालय आवश्यकता विषयक विचार विमर्श	शिक्षक कमी की स्थिति में शिक्षा मित्रों का चयन, नवीन विद्यालय स्थल चयन, एवं अन्य विद्यालयी सुविधाओं हेतु प्रस्ताव

न्याय पंचायतवार एवं तिथिवार की गयी ग्राम पंचायतों की खुली बैठक का विवरण इस प्रकार है।

तालिका-3.1

ग्राम पंचायत की खुली बैठकें

क्र०	न्याय पंचायत का नाम	ग्राम पंचायतों की खुली बैठकें तिथिवार संख्या																
		12ज	13	15	16	17	18	19	20	27	28	30	31	1फ	2	3फ	योग
1.	करछना	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
2.	घटवा	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
3.	पनामा	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
4.	रोकड़ी	1	1	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	8
5.	खाई	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
6.	डीहा	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1	1	1	–	8
7.	बरदहा	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1+1	1	1	1	–	–	8
8.	घोड़ेडीह	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	6
9.	बमहा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	5
10.	बीरपुरा	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1	1	1	–	–	8
11.	धरवारा	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1	1	7
12	योग–	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	2	71

नोट : बरदहा में दो ग्राम पंचायत को एक में सम्बद्ध किया गया है।

अध्याय-4

लक्ष्य एवं उद्देश्य

सर्वशिक्षा अभियान, स्कूल शिक्षा पद्धति के कार्य निष्पादन में सुधार तथा समुदाय आधारित कोटिपरक प्रारम्भिक शिक्षा को मिशन रूप में प्रदान करने सम्बन्धी जरूरत पूरा करने का एक प्रयास है। इस कार्यक्रम में स्त्री-पुरूष असमानता तथा सामाजिक अन्तर को समाप्त करने की परिकल्पना भी की गयी है।

सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से सभी 6-14 वय वर्ग के बालक-बालिकाओं को प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधा प्रदान करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना है। अभियान को मूर्त रूप देने की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं।

सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य-

वर्ष 2003 तक स्कूल, शिक्षा गारन्टी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, 'बैक टू स्कूल' शिविर के माध्यम से सार्वभौमिक नामांकन।

सभी बच्चे वर्ष 2007 तक पाँच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें।

सभी बच्चे 2010 तक 8 वर्ष की प्रारम्भिक शिक्षा पूरा कर लें।

संतोषजनक कोटि की प्रारम्भिक शिक्षा, जिसमें जीवनोपयोगी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया हो, पर बल देना।

बालक-बालिका असमानता तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य असमानताओं को 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर समाप्त करना।

वर्ष 2010 तक सभी बच्चों का शत् प्रतिशत ठहराव सुनिश्चित करना।

वि. ख. करछना में उ. प्र. सभी के लिए शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर पर लक्ष्यगत वय वर्ग के बच्चों को विद्यालयी सुविधा प्रदान करने, उनके शालात्याग की दर को कम करने तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु अनेक सुनियोजित प्रयास किये गये हैं और इनमें हमें सफलता भी मिली है। तथापि शत प्रतिशत नामांकन को पूर्ण करने तथा शालात्याग की दर को शून्य करते हुए गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु सघन प्रयास की आवश्यकता है। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करने की दृष्टि से वि. ख. करछना के लिए निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं-

उद्देश्य-

(क) पहुँच- मानक के अनुसार असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालय/विद्या केन्द्र/ वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र/नवाचार शिक्षा की व्यवस्था करना।

11-14 वय वर्ग के बच्चों की शिक्षा हेतु मानक के अनुसार चिन्हित बस्तियों में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था करना।

(ख) नामांकन- वर्ष 2003 तक प्राथमिक स्तर पर शत् प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना एवं 2007 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शत् प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना।

सारणी 4.1

नामांकन

स्तर	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
प्राथमिक	30481	21100	31731	32375	33032	33705	54387	35085	35797	36524	37265
उ०प्रा०	10230	10438	10650	10866	11087	11312	11542	11776	12015	12259	12508

आगामी वर्षों में छात्र नामांकन 2.29 वृद्धि दर के अनुसार दिखायी गयी है ।

- प्रथमिक स्तर पर शुद्ध नामांकन अनुपात को सन् 2003 तक 100 प्रतिशत लाना।
- उच्च प्राथमिक स्तर पर शुद्ध नामांकन अनुपात को सन् 2007 तक 100 प्रतिशत तक लाना।

सारणी 4.2

नामांकन अनुपात

स्तर	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
प्राथमिक (शुद्ध नामांकन)	92	95	100	–	–	–	–
उ०प्रा० (शुद्ध नामांकन)	93	95	97	98	99	100	100

(ग) ठहराव– प्राथमिक स्तर पर ड्रापआउट दर कम करते हुए 2004 में शून्य कर दिया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षछना का ड्राप आउट दर 22 से घटाकर 2007 तक शून्य किया जायेगा।

सीमेट बेसलाइन सर्वे रिपोर्ट (सर्वशिक्षा अभियान) वर्ष 2000-2001 के आधार पर ड्रापआउट दर निम्न सारणी में दिखाया गया है।

सारणी 4.3

शालात्याग (ड्राप आउट) दर में सुधार

स्तर	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
प्राथमिक	50	25	25	0	–	–	–	–	–	–
उच्च प्राथमिक	22	15	10	5	5	0	–	-	-	-

आधार प्राथमिक शिक्षा सीमैट की बेस लाईन रिपोर्ट 2000-2001

(घ) गुणवत्ता संवर्द्धन- प्राथमिक स्तर तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों द्वारा न्यूनतम सम्प्राप्ति स्तर प्राप्त करना।

ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र की क्षमताओं का विकास तथा विद्यालय स्तर पर कार्यरत सभी अभिकर्मियों के प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता संवर्द्धन करना।

अध्याय-5

समस्यायें एवं रणनीतियाँ

सर्वशिक्षा अभियान के नियोजन की प्रक्रिया पूर्णतया विकेन्द्रीकृत रूप में अपनाई गयी है और बस्ती आधारित कार्यक्रम का नियोजन किया गया है। शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों, समुदाय के विभिन्न वर्गों, शिक्षकों, ग्राम प्रधानों, अभिभावकों आदि के साथ ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, विकास खण्ड तथा जनपद स्तर पर बैठकें कर ली गयी हैं। इन बैठकों में विचार विमर्श के बाद प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य समस्यायें व मुद्दे निम्नवत उभर कर आये हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत अपनाई जाने वाली रणनीतियाँ इस प्रकार हैं-

मुद्दे	रणनीतियाँ
(क) शिक्षा की पहुँच-	
1. असेवित बस्तियों में विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं।	सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कराये गये परिवार सर्वेक्षण के आधार पर 300 से अधिक आबादी वाले 46 असेवित बस्तियों के लिये 10 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे। नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के पश्चात कुल प्राथमिक विद्यालय की संख्या 116 हो जायेगी। जिनके लिये 2:1 के अनुसार 58 उच्च प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता है, जिनमें से पूर्व में 16 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। अतः 42 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे। ये सभी विद्यालय प्रा. विद्यालय की भूमि पर खोले जायेंगे।
2. 300 से कम आबादी वाली बिखरी बस्तियों में 1.5 किमी. के अन्दर में कोई शैक्षिक सुविधा नहीं है।	इन बस्तियों के लिये विद्या केन्द्र, ई०जी०एस०(EGS) वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र, नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इनके लिये 56 ई.जी.एस. खोले जायेंगे। शिक्षा धर 6 समर कैम्प 3 ब्रिज कोर्स 3।
3. कामकाजी शालात्यागी बच्चों के लिये शिक्षा की विशेष सुविधाओं का अभाव है।	1. इस विकास खण्ड में ईट भट्ठों का काम, बाड़ी बनाने का कार्य एवं मजदूरी के कार्य में लगे कामकाजी बच्चों को शिक्षा से जोड़ने हेतु 6 शिक्षाघर खोले जायेंगे। 2. शालात्यागी एवं विद्यालय से बाहर के बच्चों के लिये 3 ब्रिज कोर्स खोले जायेंगे तथा विशेषकर शालात्यागी बालक तथा बालिकाओं के लिये 3 समर कैम्प खोले जायेंगे।

(ख) नामांकन सम्बंधी–	
1. समुदाय में बच्चों के नियमित पठन-पाठन प्रक्रिया के प्रति जागरूकता नहीं है।	माह जुलाई से सितम्बर तक प्रत्येक माह में प्रत्येक न्यायपंचायतवार एक-एक नुक्कड़ नाटक आयोजित किये जायेंगे। 15 दिन में 1 बार सभी ग्राम पंचायत में रैली का आयोजन किया जायेगा। बालिकाओं और अनुसूचित जाति तथा अन्य अपवंचित वर्ग के बच्चों के शालात्याग रोकने के लिये माता शिक्षक गोष्ठी, अभिभावक गोष्ठी का आयोजन माह में एक बार किया जायेगा। सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिये ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षण कराया जायेगा।
2. समाज के कुछ वर्ग विपन्नता से प्रभावित है।	आर्थिक दृष्टि से पिछड़े अभिभावकों को, बच्चों से कार्य न लेने हेतु प्रेरित किया जाएगा। शिक्षा के महत्व को समझाते हुए उनके बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित किया जाएगा। क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप समाजोपयोगी उत्पादक कार्य जैसे बांस की टोकरी, पंख बनाना, गुड़िया, खिलौना, मिट्टी का कार्य, सिलाई, सफाई, बुनाई, चित्रकारी, कागज के चित्र, अलबम आदि की शिक्षा पर बल दिया जायेगा।
3. बालिकाओं की विद्यालय में ठहराव की कमी।	बालिकाएं नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित हो सकें और उनका शालात्याग कम हो इसके लिये 11 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के अन्तर्गत सिलाई, बुनाई, गुड़िया बनाना इत्यादि कार्यक्रम चलाये जायेंगे।
4. बच्चों का घरेलू कार्य में व्यस्त होना	अभिभावकों तथा ग्रामीण जनों में जागरूकता लाते हुए बच्चों से घरेलू कार्य न कराये जाने तथा विद्यालय के लिये समय देने के प्रति प्रेरित किया जाएगा। विद्यालय में प्रवेश कराने हेतु वातावरण का सृजन किया जायेगा।
5. छात्र को दी जाने वाली सुविधाओं/ प्रोत्साहनों के सदुपयोग की कमी।	विद्यालय में छात्रों का नामांकन बढ़ाने, उनके ठहराव को बनाये रखने तथा अभिभावकों की आर्थिक मदद को दृष्टि से दिया जाने वाला स्कूल पोषाहार, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के वितरण प्रक्रिया में सुधार किया जायेगा। इसे इस प्रकार कराया जायेगा कि विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति तथा ठहराव सुनिश्चित करने में सहयोग मिल सके।
(ग) ठहराव सम्बंधी–	
1. जनसहयोग एवं समर्थन की कमी।	सामाजिक रूढ़ियों तथा अभिभावकों की उदासीनता को समाप्त करते हुए जन सहयोग प्राप्त करके बच्चों विशेषकर बालिकाओं

		तथा अनु.जा. के बालकों का ठहराव विद्यालयों में सुनिश्चित किया जायेगा। इसके लिये आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम ऊपर दिया जा चुका है।
2.	विद्यालय सौन्दर्यीकरण तथा वतावरण में आकर्षण का अभाव।	विद्यालय को बागवानी, साजसज्जा से सज्जित करते हुए आकर्षक बनाया जायेगा तथा विद्यालय में बच्चों के खेलने, तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु वातावरण उपलब्ध होने की व्यवस्था की जायेगी।
3.	सौन्दर्यीकरण की सुरक्षा का अभाव।	चहारदीवारी विहीन 102 प्रा०वि० तथा 16 उ०प्रा०विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण करते हुए विद्यालय के लिये आकर्षक बागवानी की सुरक्षा की जायेगी।
4.	पेयजल, शौचालय का अभाव।	पेयजल सुविधा विहीन 29 प्राथमिक तथा 05 उ० प्राथमिक विद्यालयों तथा शौचालय विहीन 08 प्राथमिक विद्यालयों में एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः हैण्डपम्प तथा शौचालय की सुविधा प्रदान करते हुए विद्यालय में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं के विद्यालय में ठहराव को बढ़ाया जायेगा।
5.	उपयुक्त भवन कक्षा कक्ष, साजसज्जा तथा शिक्षकों की कमी	2001-02 में प्राथमिक स्तर पर 207 कक्षा कक्ष, 142 शिक्षकों की कमी तथा उ०प्रा० स्तर पर 32 कक्षा कक्ष में 27 की कमी को दूर किया जायेगा। सभी विद्यालयों में पर्याप्त साजसज्जा की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए ठहराव की समस्या दूर की जायेगी।
6.	शिक्षकों में कार्य के प्रति तथा बहुश्रेणी शिक्षकों का कौशल न होना	शिक्षकों नियमित बोधात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से कर्तव्य बोध का ज्ञान कराते हुए शिक्षा के प्रति समर्पण भाव समर्पित किया जायेगा तथा अभिप्रेरित किया जायेगा। इसके लिये प्रत्येक अध्यापक वर्ष में कम 1 बार प्रशिक्षण का अवसर प्रदान किया जायेगा जिससे उनके अन्दर गुणवत्ता विकसित हो सके। इस प्रशिक्षण में क्रियात्मक शोध, विद्यालय प्रबन्धन इत्यादि विषयगत प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

(घ) गुणवत्ता सम्बंधी–

1.	नवीन पाठ्यक्रमानुसार शिक्षकों के ज्ञान में कमी	नवीन पाठ्यक्रमानुसार शिक्षकों के ज्ञान को आधुनिक बनाने हेतु उन्हें भाषा, गणित तथा विज्ञान विषयों में प्राथमिक स्तर पर तथा गणित, अंग्रेजी, संस्कृत एवं विज्ञान विषयों में उच्च प्राथमिक स्तर पर सेवारत प्रशिक्षण प्रतिवर्ष दिया जायेगा।
2.	विद्यालय परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षण-प्रशिक्षण का अभाव	सामाजिक गतिविधियां, स्थानीय स्थितियों तथा विद्यालय में शिक्षक उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों में उनके अनुरूप ढालने की क्षमता का विकास विशेष पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षणों के माध्यम से कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त बहुश्रेणी शिक्षक का भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

3. निरीक्षण अधिकारियों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण का न होना	नवीन पाठ्यक्रमों की जानकारी, सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य को प्राप्त कराने के उपायों के क्रियान्वयन तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षकों को ढालने के साथ-साथ शिक्षकों के गुणवत्ता सम्वर्धन हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने की दृष्टि से सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण कराया जायेगा।
4. समुदाय में पठन-पाठन प्रक्रिया के समुचित ज्ञान की कमी।	शिक्षा में सामाजिक सहभागिता प्राप्त करने के साथ ही ग्राम समिति के सदस्यों, माता शिक्षक तथा अभिभावक शिक्षक एशोसिएशन के सदस्यों को शिक्षा के गुणवत्ता सम्बन्धी कार्यक्रमों से भी परिचित कराया जायेगा।
5. शिक्षकों में सहायक शिक्षण सामग्री के निर्माण एवं उपयोग कौशल का अपर्याप्त होना।	पाठों के अनुरूप सहायक शिक्षक सामग्री का निर्माण सम्बन्धित कक्षाध्यापक द्वारा कराया जायेगा तथा उसके उपयोग को सुनिश्चित किया जायेगा ताकि छात्रों को विषयवस्तु समझने में आसानी हो। साथ ही कक्षा शिक्षण रूचिकर हो सके। इस हेतु प्रत्येक शिक्षक को प्रतिवर्ष शिक्षक अनुदान दिया जायेगा।
6. शिक्षकों का गैर-शैक्षिक कार्यों में व्यस्त होना	विद्यालय स्तर से लेकर विकास खण्ड स्तर पर विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संकलन, भवन निर्माण, पोषाहार वितरण तथा अन्याय गैरविभागीय कार्यों के निस्तारण में शिक्षकों की व्यस्तता को कम किया जायेगा तथा उनका पूरा समय शिक्षण तथा छात्रों के हितों में व्यतीत हो ऐसा क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा समय प्रवन्धन की क्षमता विकसित की जायेगी।
(ङ)संस्थागत क्षमताओं सम्बंधी–	
1. न्याय पंचायत एवं ब्लाक संसाधन केन्द्र पर विद्यालयों के पर्यवेक्षण हेतु अपर्याप्त क्षमताएं होना।	न्याय पंचायत तथा ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समन्वयकों का मुख्य दायित्व शिक्षकों के गुणवत्ता एवं दक्षता विकास हेतु निर्धारित किया जायेगा। न्याय पंचायत तथा विकास खण्ड स्तर पर सूचना संकलन में बिताये जा रहे समय के अपव्यय को कम किया जायेगा तथा उन्हें शिक्षण कार्य में अभिरूचि उत्पन्न करने विद्यालय प्रबन्धन के प्रति दक्ष बनाने का कार्य किया जायेगा। ब्लाक संसाधन केन्द्रों तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों को शैक्षिक पर्यवेक्षण व अकादमिक सपोर्ट देने के लिये क्षमतावान बनाया जायेगा ताकि विद्यालय व शिक्षकों को नियमित रूप से मार्ग दर्शन व अकादमिक सपोर्ट प्राप्त हो सके।
2. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कक्षा कक्ष	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वे शिक्षकों को स्थानीय परिस्थतियों तथा कक्षा कक्ष की

	परिस्थितियों के अनुरूप प्रशिक्षण न दिया जाना	स्थितियों के अनुरूप शिक्षकों को प्रशिक्षित करें। विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षकों की कमी की स्थिति में बहुकक्ष शिक्षण की विधा से परिचित कराया जायेगा।
3.	प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में शोधकार्य की कमी	प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं, प्रगति तथा विभिन्न क्रियाकलापों के क्रियान्वयन संबंधी शोध कार्य की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी तथा सुझाए गये तर्गकों का उपयोग करते हुए लक्ष्य को प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग कार्यक्रमों के संचालन में किया जायेगा।
4.	विद्यालय सांख्यिकी तथा इन्डीकेटर्स का अपर्याप्त उपयोग।	ई.एम.आई.एस. को और सुदृढ़ बनाया जायेगा और आँकड़े नियमित रूप से संकलित कर विश्लेषण कराकर प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग वार्षिक कार्ययोजना निर्माण में किया जायेगा।

अध्याय-6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार

(नवीन औपचारिक विद्यालय)

यह सर्वमान्य तथ्य है कि 6-11 वय वर्ग के बालक छोटे होने के कारण दूरस्थ विद्यालयों में प्रवेश नहीं ले पाते और यदि विभिन्न अभियानों के माध्यम से प्रेरित करके उन्हें विद्यालय में नामांकित करा भी दिया जाय तो वे प्रतिदिन विद्यालय में उपस्थित नहीं होते और कालान्तर में विद्यालय छोड़ देते हैं। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा प्रति 1.5 किमी० से अधिक पर एक प्राथमिक विद्यालय खोलने का संकल्प लिया है। सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विकास खण्ड में बस्तीवार सर्वेक्षण तथा मानचित्रण करके असेवित बस्तियाँ चिन्हित की गयी हैं और उनमें विद्यालयीय सुविधा सुलभ कराने का प्रस्ताव बनाया गया है।

(1) नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना-

विकास खण्ड करछना में बस्तियों की कुल संख्या 371 है जिनमें 115 असेवित बस्तियाँ हैं। इन असेवित बस्तियों में से 46 बस्तियाँ ऐसी हैं जिनकी आबादी 300 से अधिक है। विद्यालय मानचित्रण के आधार पर इन बस्तियों को सेवित करने की दृष्टि से देखा गया तो यह ज्ञात हुआ कि 10 विद्यालय खोले जाने पर 300 आबादी वाली समस्त असेवित बस्तियों को विद्यालयीय सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

सारणी-6.1

असेवित बस्तियाँ (प्रा० स्तर)

क्र०	बस्ती का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	बस्ती की कुल आबादी	बस्ती से निकटतम विद्यालय का नाम	दूरी निकटतम विद्यालय (किमी.)
1.	कपूर का पुरा	नरौल	436	नरौल	1.5
2.	पनवरिया	पुरगिसन	378	नेवरियाखुर्द	1.5
3.	पुरगिसन	पुरगिसन	1120	नेवरियाखुर्द	1.5
4.	ढोलीपुर	देहली भगेसर	800	भटौली	2.5
5.	हलैया का पुरा	पनासा	700	पुतरीहा	2.5
6.	डाडेपर	पनासा	600	पनासा उपरहार	1.5
7.	डेगपर (लाइनपार)	कटका	800	कटका	2.5
8.	घईका पुरा	पनासा	300	लाकटहा	1.5
9.	सरहा	वीरपुर	500	वीरपुर	1.5
10.	मन्दौली	मड़वा	1000	वीरपुर मड़वा	1.5
11.	लच्छीपुर	झींगी लच्छीपुर	700	झींगी लच्छीपुर	1.5
12.	पोतनिहा	हथसरा	800	हथसरा	1.5
13.	घोरहट	घोरहट	1000	भगनपुर	2.0

14.	लंगड़ी पटिया	लोहंदी	500	लोहंदी	1.5
15.	चन्दौली गौतमान	चन्दौली	600	प्रतापपुर	1.5
16.	तेवारी का पुरा	भुण्डा	400	भुण्डा	1.5
17.	लक्ष्मणपुर	भुण्डा	350	भुण्डा	2.0
18.	नेवाढ़ा	नंग्ना	300	नंग्ना	1.5
19.	बोधा का पुरा	बगंव	600	बगंव	2.0
20.	कोकरगढ़	निदौरी	300	निदौरी	1.5
21.	पुरा खजुरी नारापर	खजुरी	600	खजुरी	2.0
22.	पसियान	मछहर उर्फपुरवा	500	मछहर उर्फपुरवा	2.0
23.	भटेरवा	भटेरवा	800	लिगदहिया	2.0
24.	महलोलवा	महलोलवा	600	सोनाई	2.0
25.	नावा	नावा	400	मजई	2.0
26.	कल्याण साह का पुरा	खांई	500	खांई	3.0
27.	राजा का तालाब	खांई	300	खांई	2.0
28.	हौज कटोरवा	बस्तर	500	बस्तर	2.0
29.	बैकुण्टपुर	अन्तहिया	300	अन्तहिया	1.5
30.	नारायणपुर	बमहौ	600	बमहौ	1.5
31.	बड़की बारी	रामगढ़	500	रामगढ़	1..5
32.	तेली का पुरा	ककरम	500	ककरम	1.5
33.	बभनौटी	सुलमई	400	सुलमई	1.5
34.	धोबियान (केचुहा)	केचुहा	300	केचुहा	1.5
35.	बसडिला	घोड़ेडीह	400	भटौली	1.5
36.	भिटार	पिपरांव	300	भटौली	1.5
37.	राम अधार का पुरा	हर्रई मझुवा	300	हर्रई मझुवा	1.5
38.	मदापुर	गंधियांव	300	गंधियांव	1.5
39.	डीहा बाजार	डीहा	500	डीहा	2.0
40.	ननुवा	बेरी	800	बेरी	1.5
41.	उत्तरी मल्लहान	मनैया	500	मनैया	1.5
42.	तेवारी का पुरा	कवरा	300	कवरा	1.5
43.	रामधन का पुरा	मुंगारी	700	मुंगारी-I,II	2.0
44.	हल्दी का पुरा	मुंगारी	500	मुंगारी-I,II	2.0
45.	हिन्दूपुर पसियान	हिन्दूपुर	500	करछना-I	1.5
46.	नहरपार चमरौटी	करछना	525	करछना	1.5

अतः 10 प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है।

सभी नवीन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था सुदृढ़ और गुणवत्ता पूर्ण हो सके इस दृष्टि से प्रस्तावित भवनों में शौचालय, पेयजल, चहारदीवारी, शिक्षण सामग्री, काष्टोपकरण, उपस्कर एवं शिक्षकों की आवश्यकता होगी। जिनकी व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है। विद्यालय को निकटतम प्रस्ताव से जोड़े रखने के लिये विद्यालय की बाहरी दीवार या बरामदे में एक सूचना

पट्ट की व्यवस्था की जायेगी जिसपर पंजीकृत बच्चों के सापेक्ष बच्चों की दैनिक उपस्थिति अंकित की जायेगी।

सारणी-6.2

सर्वशिक्षा अभियान परिवार सर्वेक्षण आधारित प्रस्तावित नवीन प्राथमिक विद्यालय

क्र सं	बस्ती का नाम जहां विद्यालय प्रस्तावित किया गया है	राजस्व ग्राम का नाम	बस्ती की कुल आबादी	यहां विद्यालय खोलने से कौन-कौन सी बस्तियां सेवित होंगी
1.	ढोलीपुर	डेहली भगेसर	८00	ढोली पुर एवं उसके आस पास बिखरी हुई आबादी
2.	राम धन का पुरा	मुरारी	700	रामधन के पुरा के आस पास बिखरी आबादी
3.	बोधा का पुरा	बरांव	600	बोधा का पुरा एवं बिखरी हुई आबादी
4.	घोरहट	घोरहट	1000	घेरहट में आस-पास के पुरवे
5.	भटेरवा	भटेरवा	८00	भटेरवा एवं उसके आस-पास की बस्ती
6.	सहलोलवा	सहलोलवा	60	सहलोलवा एवं उसके आस-पास की बस्ती
7.	हौज कटोरवा	बस्तर	500	हौज कटरोवा एवं उसके आस-पास की बस्ती
८.	हलैया का पुरा	पनासा	700	हलैया का पुरा बारी में मल्लू का पुरा
9.	नेनुआ	बेन्दो	८00	नेनुआ एवं उसके आस-पास की बस्ती
10.	कल्याणशाहका पुरा	खांई	300	कल्याणशाह का पुरा एवं उसके आस-पास बिखरी हुई आबादी

प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों का नामांकन तथा ठहराव सुनिश्चित हो सके इसके लिये विद्यालयों के वातावरण को आकर्षक बनाया जायेगा। सभी प्राथमिक विद्यालय के परिसरों को सुरक्षित रखने और उनके सुन्दर बागवानी करवाने की दृष्टि से चहारदीवारी तथा गेट की व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, जिसके लिये हैण्ड पम्प लगवाये जायेंगे। विद्यालय को निकटतम समुदाय को जोड़े रखने के लिये ये आवश्यक है कि विद्यालय की महत्वपूर्ण सूचनायें ग्रामवासियों को मिल सकें। इस दृष्टि से विद्यालय की बाहरी दीवार या बारामदे में एक सूचना पट की व्यवस्था की जायेगी जो दीवार पर बना रहेगा, इस पर पंजीकृत बच्चों की संख्या, उपस्थित बच्चों की संख्या अंकित की जायेगी।

सभी विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था की जायेगी, जिससे बच्चों के ठहराव में (विशेषकर बालिकाओं) वृद्धि होगी।

सभी प्रस्तावित विद्यालयों में आवश्यक शैक्षिक उपकरण, काष्ठोपकरण दिये जायेंगे। प्रत्येक विद्यालय में एक प्रधान अध्यापक, एक शिक्षा मित्र की व्यवस्था की जायेगी। विद्यालय भवन निर्माण हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत से निःशुल्क भूमि प्राप्त की जायेगी। यह भी प्रयास होगा कि

प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के खेलकूद हेतु यथा सम्भव प्रांगड़ उपलब्ध हो सके। न्यायपंचायतवार नवीन प्रस्तावित प्रथमिक विद्यालयों की संख्या तथा उसमें आवश्यक सुविधाओं के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण निम्न सारणी 6.3 में प्रदर्शित है।

सारणी 6.3

नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना

क्र०	न्याय पचायत का नाम	नवीन प्रा० विद्यालय	नवीन प्रा. वि. द्वारा सेवित बस्तियाँ	विद्यालय भवन	शौचालय	हैण्डपम्प	चहार दीवारी	शिक्षकों की व्यवस्था		शिक्षण सामग्री	कास्टोपकरण उपस्कर
								प्र० अध्यापक	स. शिक्षा मित्र		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	करछना	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	घटवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	वरदहा	2	5	2	2	2	2	2	2	2	2
4.	रोकडी	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1
5.	घरवारा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	खौंई	2	5	2	2	2	2	2	2	2	2
7.	वीरपुर	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	घोडेडीह	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	डीहा	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1
10.	पनामा	2	11	2	2	2	2	2	2	2	2
11.	बमहौ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग–	10	46	10	10	10	10	10	10	10	10

नवीन प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय की स्थापना अभियान के प्रथम 3 वर्षों में की जायेगी, जिसका विवरण नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित है–

सारणी 6.4

वर्षवार प्रस्तावित नवीन प्राथमिक विद्यालय

वर्षवार	2001-2002	2002-2003	2003-2004
नवीन प्राथमिक विद्यालय	5	3	2

(2) नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना–

विकास खण्ड करछना में ग्रामीण क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अभाव है। सभी वय वर्ग के बच्चों की उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त हो सके इसके लिये मानक 2:1 अनुसार 42 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता है।

समुचित व्यवस्था के साथ-साथ शौचालय, हैण्डपम्प, चहार दीवारी, शिक्षण सामग्री काष्ठोपकरण तथा उपस्कर एवं शिक्षकों की भी आवश्यकता है। नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक विद्यालय की भूमि में ही खोले जायेंगे।

सारणी-6.5

सर्वशिक्षा अभियान परिवार सर्वेक्षण आधारित प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालय

क्रमांक	बस्ती का नाम जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित किया गया है	राजस्व ग्राम का नाम	बस्ती की कुल आबादी
1.	प्रा.वि० मुंगारी के मैदान में	मुंगारी	8610
2.	प्रा.वि० फत्तेपुर	फत्तेपुर	1118
3.	प्रा.वि० महोरी	महोरी	2761
4.	प्रा.वि० थरी	थरी	939
5.	प्रा.वि० हरदुआ	हरदुआ	810
6.	प्रा.वि० तेवरिया खुर्द	तेवरिया खुर्द	964
7.	प्रा.वि० तरौल (कपूर का पुरा)	तरौल	2047
8.	प्रा.वि०घटवा	घटवा	2437
9.	प्रा.वि० देहली भगेसर (ढोलीपुर)	देहली भगेसर	1370
10.	प्रा.वि० मेंडरा	मेंडरा	1523
11.	प्रा.वि० पुतरिहा	पनासा	1520
12.	प्रा.वि० लकटहा	पनासा	1000
13.	प्रा.वि० खजुरी	खजुरी	1911
14.	प्रा.वि० भुण्डा	भुण्डा	3890
15.	प्रा.वि० निदौरी	निदौरी	1031
16.	प्रा.वि० झींरी लक्षीपुर	झींरी लक्षीपुर	1854
17.	प्रा.वि० लोंहदी	लोंहदी	2183
18.	प्रा.वि० प्रतापपुर	निवैया मझियारी	900
19.	प्रा.वि० हथसरा	हथसरा	800
20.	प्रा.वि० बरदह्य	बरदहा	3315
21.	प्रा.वि० सोनाई	सोनाई	3342
22.	प्रा.वि० मंजई	मंजई	800
23.	प्रा.वि० घोड़ेडीह	घोड़ेडीह	1877
24.	प्रा.वि० मझुवा	मझुवा	1736
25.	प्रा.वि० भटौली	भटौली	900
26.	प्रा.वि० पुरैनी	पुरैनी	1823
27.	प्रा.वि० बबुरा	बबुरा	4168
28.	प्रा.वि० खजुरौल	खजुरौल	893

29.	प्रा.वि० लोहारी	लोहारी	825
30.	प्रा.वि० रामगढ़	रामगढ़	2435
31.	प्रा.वि० नीवां	नीवां	1012
32.	प्रा.वि० अन्तहिया	अन्तहिया	2343
33.	प्रा.वि० बसतर	बस्तर	2166
34.	प्रा.वि० ककरम	ककरम	2202
35.	प्रा.वि० बघेड़ा	बघेड़ा	1734
36.	प्रा.वि० अरई	अरई	3991
37.	प्रा.वि० डार्भी	घरवारा	800
38.	प्रा.वि० इमांटा	इमांटा	1024
39.	प्रा.वि० सेमरहा उपरहार	सेमरहा उपरहार	1398
40.	प्रा.वि० कबरा	कबरा	940
41.	प्रा.वि० मनैया	मनैया	1495
42.	प्रा.वि० पंचदेवरा	पंचदेवरा	1461

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षावार एवं विषयवार शिक्षकों की आवश्यकता होती है। अतः प्रत्येक विद्यालय के लिये एक प्रधान अध्यापक और चार सहायक अध्यापक की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है न्याय पंचायतवार विस्तृत विवरण निम्नलिखित सारणी में प्रदर्शित है-

सारणी 6.6

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना

क्र०	न्याय पंचायत का नाम	नवीन उ०प्रा० विद्यालय	समेकित बस्तियाँ	विद्यालय भवन	शौचालय	हैण्डपम्प	चहार दीवारी	शिक्षकों की व्यवस्था प्र० अध्यापक	सहायक अध्यापक	शिक्षण सामग्री	काष्ठोपकरण उपस्कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	करछना	4	–	4	4	4	4	4	16	4	4
2.	घटवा	4	–	4	4	4	4	4	16	4	4
3.	बरदहा	3	–	3	3	3	3	3	12	3	3
4.	रोकड़ी	3	–	3	3	3	3	3	12	3	3
5.	घरवारा	5	–	5	5	5	5	5	20	5	5
6.	खाँई	3	–	3	3	3	3	3	12	3	3
7.	वीरपुर	4	–	4	4	4	4	4	16	4	4
8.	घोड़ेडीह	4	–	4	4	4	4	4	16	4	4
9.	डीहा	4	–	4	4	4	4	4	16	4	4
10.	पनासा	4	–	4	4	4	4	4	16	4	4
11.	बसही	4		4	4	4	4	4	16	4	4
	योग–	42	–	42	42	42	42	42	68	42	42

नवीन प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना अभियान के प्रथम 6 वर्षों में की जायेगी जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित है-

सारणी 6.7 अ

वर्षवार प्रस्तावित नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय

वर्षवार	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय	6	6	6	6	10	8

वर्तमान में शिक्षा क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हो रही है विज्ञान तथा तकनीकि क्षेत्र में कम्प्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। अतः परिषदीय विद्यालय के बच्चों को कम्प्यूटर का प्रारम्भिक ज्ञान देना श्रेयस्कर होगा। इस दृष्टि से प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक कम्प्यूटर की आवश्यकता है।

नवीन 42 उ.प्रा.वि. तथा 16 पुराने उ.प्रा.वि. इस प्रकार कुल 58 उ.प्रा.वि. में कम्प्यूटर दिये जायेंगे । जिनके वितरण की वर्षवार व्यवस्था नीचे दी गयी सारणी सं. 6.7बी. में प्रदर्शित है :-

सारणी 6.7 बी

उ.प्रा.वि. में कम्प्यूटरों की व्यवस्था

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
उ.प्रा.वि. में कम्प्यूटरों की व्यवस्था	22	6	6	6	10	8

नवीन प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की वर्षवार आवश्यकता संकलित रूप में निम्ननांकित सारणी 6.8 में प्रदर्शित है–

नवीन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता

करछना

क्र०	वर्ष	नवीन प्राथमिक विद्यालय	प्रधानाध्यापक	शिक्षामित्र
	1	2	3	4
1	2001-2002	5	5	5
2	2002-2003	3	3	3
3	2003-2004	2	2	2
4	2004-2005	0	0	0
5	2005-2006	0	0	0
6	2006-2007	0	0	0
7	2007-2008	0	0	0
8	2008-2009	0	0	0
9	2009-2010	0	0	0

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता

करछना

क्र०	वर्ष	नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय	प्रधानाध्यापक	सहायक अध्यापक
	1	2	3	4
1	2001-2002	6	6	24
2	2002-2003	6	6	24
3	2003-2004	6	6	24
4	2004-2005	6	6	24
5	2005-2006	10	10	40
6	2006-2007	8	8	32
7	2007-2008	0	0	0
8	2008-2009	0	0	0
9	2009-2010	0	0	0

अध्याय-7

शिक्षा की पहुँच का विस्तार

(अनौपचारिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, नवाचार शिक्षा, ब्रिजकोर्स)

वर्तमान में ऐसे बच्चों के लिये जो औपचारिक प्रा0 वि0 में प्रवेश नहीं ले पाते, उनके लिये अनौपचारिक केन्द्र/शिक्षाघर की व्यवस्था रही है। शिक्षण सुविधा से वंचित 6-14 वय वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराने का एक सशक्त विकल्प है। इस केन्द्र में पूर्व निर्धारित योजना के अन्तर्गत 6-14 वय वर्ग के जो बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़कर बैठ गये, पैतृक व्यवसाय में अभिभावक की मदद करने लगे, कारखानों में काम करने लगे, बाल श्रमिक बन गये, पढ़ना चाहकर भी प्रतिदिन 6 घण्टे का प्राथमिक विद्यालयीय समय नहीं दे सके, वे बालिकाएं जो माता पिता के काम पर चले जाने के बाद घर के अबोध शिशुओं की देखभाल में लग गई ऐसे अपवंचित असुविधाग्रस्त बालक, बालिकाओं को उनकी सुविधानुसार अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षित करने की व्यवस्था है।

7.1 अनौचारिक शिक्षा–

अनापचारिक शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा एक से पाँच तक के पाठ्यक्रम को संघनित करके अंशकालिक शिक्षा दो घण्टे प्रतिदिन की छः माह के चार सेमेस्टरों में प्रदान की जाती है। कक्षा 5 उत्तीर्ण करने पर समतुल्य प्रमाण पत्र प्रदान कर इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का यत्न किया जाता है।

विकास खण्ड करछना 100 केन्द्र संचालित किये गये हैं। प्रत्येक केन्द्र में 25-25 बच्चे का पंजीकरण किया जाता है। जिसमें बालिकाओं की शिक्षा की प्रमुखता दी जाती है।

परियोजना से आच्छादित विकास खण्ड में ग्राम शिक्षा समिति की मांग/आवश्यकता एवम् 6-11 वय वर्ग के निरक्षर बच्चों की संख्य को आधार बनाकर ग्राम पंचायत व न्याय पंचायत स्तर पर केन्द्र संख्या का निर्धारित किया जाता है।

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्णीत किसी सार्वजनिक स्थल पर अनुदेशक द्वारा दो घण्टे प्रतिदिन केन्द्र संचालन किया जाता है।

विकास खण्ड नवीनतम् शासनादेशों के अनुसार ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत पैनल पर आरक्षण व्यवस्था तथा शैक्षिक योग्यता वर्गायता के आधार पर अब तक चयनित अनुदेशक/अनुदेशिकायें कार्यरत हैं।

बाल गणना पंजिका के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश न लेने वाले अथवा बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले 6-14 वय वर्ग के बालक बालिकाओं को अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में नामित किया जाता है।

शासन द्वारा एक अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र के लिये 25 बच्चों का पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें बालिकाओं की शिक्षा को प्रमुखता दे दी जाती है। साथ ही अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े जाति व अल्पसंख्यक जाति को प्रवेश के लिये वरीयता दी जाती है।

अनापचारिक शिक्षा केन्द्रों में नामांकित बच्चों के लिये निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों एवम् निःशुल्क शिक्षण सामग्री दिये जाने की शासन द्वारा व्यवस्था है। वर्ष 99-2000 की शिक्षण सामग्री केन्द्रों तक पहुँचाकर लाभार्थियों को वितरित की जा चुकी है।

विकास खण्ड में कार्ययोजित अनुदेशकों को प्रारम्भ में दस दिवसीय प्रथम चक्र का प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के सक्रिय सहयोग से सम्पन्न करने की व्यवस्था है।

विकास खण्ड के परियोजनाओं में संचालित अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का निरीक्षण परियोजना अधिकारी, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप-बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी द्वारा भी केन्द्रों पर निरीक्षण किया जाता है।

7.2 सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्ताव–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी लक्ष्यगत वय वर्ग के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधा मिल सके, इस दृष्टि से क्षेत्रवार विशिष्टता की जानकारी प्राप्त की गयी है, और तदनुसार वैकल्पिक शिक्षा के रूप में शिक्षा गारण्टी योजना, ए.आई.ई., नवाचार अथवा ब्रिज कोर्स की सुविधा करने के प्रस्ताव पर जन-प्रतिनिधियों, जनसमुदाय, सम्बन्धित शिक्षा अभिकर्मी और अन्य विभागों के साथ बात-चीत तथा विचार विमर्श करके निम्नलिखित व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

सारणी 7.1

विद्यालय न जाने वाले बालक बालिकाएँ

क्र.सं.	नाम न्यायपंचायत	6-11 वय वर्ग			11-14 वय वर्ग		
		विद्यालय न जाने वाले			विद्यालय न जाने वाले		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	करमदा	198	240	438	76	204	280
2.	पटवा	54	83	137	42	72	114
3.	बरदहा	75	332	407	45	104	149
4.	गोकड़ी	68	89	157	51	67	118
5.	धरवारा	104	154	258	24	57	81
6.	खाई	36	27	63	20	31	51
7.	बीरपुर	127	192	319	62	125	187
8.	छोटे डोह	41	81	122	58	112	170
9.	डीहा	117	204	321	155	416	571
10.	पनारसा	31	13	44	4	0	4
11.	बमहा	157	132	289	36	61	97
12.	योग	1008	1547	2555	573	1249	1822

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपर्युक्त सभी विद्यालय न जाने वाले बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधा मिल सके इस दृष्टि से जनप्रतिनिधियों, जनसमुदाय, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, सम्बन्धित शिक्षा आम कर्मियों, ग्राम विकास स्वास्थ्य एवं चिकित्सा नियोजन तथा अन्य विभागों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के उपरान्त जो क्षेत्रगत विशिष्टताएँ उभर कर आयी हैं उन्हे नीचे लिखी गयी सारणी में सूची वद्ध किया गया है। क्षेत्र गत विशिष्टताओं के आधार पर वैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न माडलों को प्रस्तावित किया गया है :-

सारणी 7.2

शिक्षा गारण्टी योजना, वैकल्पिक शिक्षा, नवाचार शिक्षा/ब्रिज कोर्स का प्रस्ताव

क्र०	न्याय पंचायत का नाम	विशिष्टता
1.	गेकड़ी	प्राथमिक स्तर पर शालात्यागी तथा स्कूल से बाहर के बच्चों की विशेषकर बालिकाओं की संख्या सर्वाधिक है ये बच्चे घरेलू कार्यों में व्यस्तता, अभिभावकों की आर्थिक विपन्नता के कारण बीच में ही पढ़ायी छोड़कर अन्य घरेलू कार्यों में ही संलग्न है।
2.	करछना	अशिक्षा, गरीबी तथा सामाजिक जागरूकता की कमी के कारण ग्रामीण जन शिक्षा के
3.	पनामा	प्रति उदासीन है विशेषकर महिला साक्षरता 13 प्रतिशत होने के कारण महिलाएँ भी
4.	घोड़ेड़ी	शिक्षा के प्रति सजग नहीं है बालिकाएँ या तो नियमित स्कूल नहीं आती है अथवा
5.	बसहीं	बीच में ही शालात्याग कर जाती है। यह समस्या न्याय पंचायत करछना, मेड़रा और
6.	खाई	गधियांव बस्तियों में सर्वाधिक है।
7.	घटवा	न्याय पंचायत घटवा, बीरपुर, बरदहा की बस्तियों में ईंट भट्टों की अधिकता है
8.	बीरपुर	आर्थिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे भी इस कार्य में संलग्न है। करेहा, गधियांव की 1/3
9.	बरदहा	आबादी बीड़ी बनाने के काम में संलग्न है जहाँ के बच्चों के लिए पूरे समय तक
10.	डीहा	विद्यालय में बने रहना सम्भव नहीं हो पाता है यहाँ की बालिकाएँ भी इस व्यवसाय
11.	करेहा	में संलग्न रहती है। बालिकाओं की शिक्षा के प्रति माता पिता की जागरूकता कम
12.	गधियांव	होने के कारण उनके लिए यह समस्या और भी विकट है।

शिक्षा गारंटी योजना (ई.जी.एस. केंद्र) -

ऐसे बच्चे जो 6-7 वर्ष के हैं और 1.5 कि.मी. की दूरी तक स्थित प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने नहीं जा रहे है उनके लिए कक्षा 1 व 2 तक की शिक्षा ग्रहण करने हेतु ई.जी.एस. केंद्रो की स्थापना का प्रस्ताव है। यह केंद्र प्रतिदिन चार घंटे तक चलेगे। केंद्रो पर पुस्तक शिक्षण सामग्री एवं साज-सज्जा की व्यवस्था अन्य प्राथमिक विद्यालयों की भांति होगी। ई.जी.एस. केंद्रो पर अध्ययनरत बच्चों द्वारा कक्षा 2 तक का स्तर प्रदान करने के पश्चात उन्हें मुख्य धारा से जोड़ दिया जायेगा। इसके लिए उनको सतत प्रेरित किया जायेगा। और उनके शैक्षिक स्तर की जानकारी हेतु सतत मूल्यांकन किया जायेगा।

ब्लाक के सभी न्याय पंचायतों में इस प्रकार की बस्तियां है जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है और न्यायपंचायत वार निम्नलिखित ई.जी.एस. केंद्रो को प्रस्तावित किया गया है। प्रत्येक चिन्हित बस्तियों को एक एक ई.जी.एस. केंद्र होना तथा इन केंद्रों की कुल संख्या 56 होगी। प्रत्येक केंद्र पर 30 छात्र होंगे। जिनका विवरण निम्नलिखित है।

सारणी 7.3 अ

प्रस्तावित शिक्षा गारण्टी योजना

क्र०	न्याय पंचायत का नाम	क्र०	बस्ती का नाम	राजस्व ग्राम का नाम
1.	करछना	1.	हल्दी का पुरा	मुंगारी
		2.	हिन्दुपुर पसियान	हिन्दुपुर
		3.	करछना चमरौटी	करछना
2.	घटवा	4.	कपूर का पुरा	तरौल
		5.	पनवरिया	पुराघिसन
		6.	पुराघिसन	पुराघिसन
		7.	अमवा का पुरा	तरौल
		8.	नर्मदापुर	घटवा
3.	पनासा	9.	डाडेपुर	पनासा
		10.	मल्लू का पुरा	पनासा
		11.	डेरापुर (लाइनपार)	कटका
		12.	घट्टू का पुरा	पनासा
		13.	कचरा	मेंड़रा
		14.	बारी में	पनासा
4.	बीरपुर	15.	सरहा	बीरपुर
		16.	मन्दौली	मड़वा
		17.	लच्छीपुर	झीरी लच्छीपुर
		18.	पोतनिहा	हथसरा
		19.	घोरहट	घोरहट
		20.	लंगड़ी पटिया	लोहदी
		21.	चन्दौली (गौतमान)	चन्दौली
		22.	मड़वा उत्तरी पुरा	मड़वा
5.	रोकड़ी	23.	तेवारी का पुरा	भुंडा
		24.	लक्ष्मनपुर	भुंडा
		25.	नेवादा	नरैना
		26.	कोसगढ़	निदौली
		27.	पुरा खजुरी (तारापुर)	खजुरी
		28.	पसियान	मछहर उर्फ पुरवा
		29.	बरइयान	भुंडा
		30.	तलियापुर चमरौटी	भुंडा
		31.	नेवादा चमरौटी	नरैना
		32.	नरैना (अहिरान)	नरैना
		33.	मधुका पुरा	बरौव
6.	बरदहा	34.	नौवा	नौवा
		35.	जगौती	बरदहा
7.	खीँई	36.	राजा का तालाब	खीँई
		37.	बैकुन्ठपुर	अन्तहिया
8.	बसहीं	38.	नारायणपुर	बसही
		39.	बड़कोबारी	रामगढ़
		40.	नटका	बसही
		41.	पुरा कालू	पनासा
9.	धरवारा	42.	तेली का पुरा	ककरम
		43.	बभनौटी	गुलमई
		44.	धोबियान (केंचुहा)	भड़ेवा

10. घोडेडीह	45. बरगडिला	घोडेडीह
	46. भिटार	पिपरगांव
	47. रामअधार का पुरा	हरेई
	48. मदोपुर	गोंधियाव
	49. बंधवापर	गोंधियाव
	50. मर	घोडेडीह
11. डीहा	51. डीहा बाजार (खटिकान)	डीहा
	52. बरई का पुरा (खटिकान)	डीहा
	53. उत्तरी मल्लहान	मनैया
	54. तिवारी का पुरा	कबरा
	55. महाबभनौटी	डीहा
	56. मल्लहान	मनैया

ई.जी.एस. में शिक्षण हेतु शिक्षा आचार्य का चयन ग्राम पंचायत की खुली बैठक में किया जायेगा और आचार्य को शिक्षण कार्य में दक्ष बनाने हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

इन 56 केंद्रो की स्थापना अभियान के प्रथम वर्ष में की जायेगी केंद्रो की स्थापना करते समय इस बात का ध्यान दिया जायेगा एक वर्षों मे सभी चिन्हित न्याय पंचायतों में केंद्रो का वितरण अधिकाधिक समता के साथ हो ताकि सभी न्याय पंचायतों मे शिक्षा की सुविधा प्रथम वर्ष से ही सुलभ हो सके।

सारणी 7.3 बी

ई.जी.एस. केंद्र

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04
ई.जी.एस.केंद्र	20	20	16

शिक्षा घर-

6-14 वय वर्ग ऐसे बच्चे जो कामकाजी तथा बाल श्रमिक है और रोजी रोटी से सम्बन्धित कार्य में व्यस्त होने के कारण पूर्ण समय तक विद्यालय में रह कर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, उनके लिए शिक्षा घर की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। शिक्षा घर का समय प्रतिदिन 4 घंटे का होगा और स्थानीय परिस्थिति के कारण इसका निर्धारण किया जायेगा। । शिक्षा घर में 25 बच्चे नामांकित होंगे ऐसे स्थान पर जहाँ पर लड़कियों की संख्या अधिक है। वहाँ लडकियों के शिक्षा घर खोले जाने का प्रस्ताव है। शिक्षा घर मे स्थानीय कक्षा 10 उत्तीर्ण योग्यताधारी अनुदेशक/अनुदेशिका को नियुक्ति किया जायेगा और इनका चयन ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा। शिक्षा घर के लिए शिक्षण सामग्री लालटेन, मिट्टी का तेल, चार्ट, पुस्तकें

इत्यादि निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी। अनुदेशकों को शिक्षण कार्य में दक्ष बनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

न्यायपंचायत बरदहा, घटवा, कैथी, करेहा तथा गधियांव में बाल श्रमिकों की संख्या अधिक है यहाँ पर ईट, भट्टे व बीड़ी बनाने का कार्य होता है और बालिकाएँ भी बीड़ी बनाने के व्यवसाय में माता पिता के साथ जुड़ी रहती है इस कारण इन न्याय पंचायतों की चिन्हित बस्तियों में कुल 12 केंद्र खोले जाने का प्रस्ताव है । प्रत्येक शिक्षा घर में 30 छात्र होंगे सभी 6 शिक्षा घर योजना के प्रथम वर्ष में ही संचालित किये जायेगे । जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

सारणी 7.4
प्रस्तावित शिक्षा घर

क्रमांक	न्याय पंचायत का नाम	क्रमांक	नाम विद्यालय/बस्ती जहाँ प्रस्तावित है
1.	घटवा	1.	घटवा खास
2.	वीरपुर	2.	वीरपुर
3.	बरदहा	3.	जगौती
4.	खांई	4.	कोईरान (बस्ती)
5.	डीहा	5.	मल्लहान
6.	डीहा	6	डीहा बाजार (पश्चिमी भाग)

ब्रिज कोर्स-

6-11 वय वर्ग के ऐसे बच्चे जो किसी कारण शालात्याग कर चुके हैं उनके लिए ब्रिज कोर्स की विशिष्ट व्यवस्था है इसका यह उद्देश्य है कि बच्चों को 3 माह तक शिविर में रखकर उनको इस प्रकार शिक्षित किया जाये कि वे अपनी योग्यतानुसार प्राथमिक शिक्षा के किसी निश्चित स्तर को प्राप्त कर सके। कोर्स चलने की अवधि में बच्चों का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जायेगा। और जैसे ही वे किसी कक्षा में 3, 4 या 5 स्तर को प्राप्त कर ले उन्हें उस कक्षा विशेष में प्रवेश लेने के लिए अभिप्रेरित किया जायेगा। इस कार्य में इस कोर्स द्वारा सभी बच्चों विशेषकर बालिकाओं के शालात्याग की समस्या का समाधान प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा।

विकास खण्ड के रोकड़ी, बसही, धरवारा न्यायपंचायत में ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ब्रिज कोर्स की आवश्यकता है इस बस्तियों को चिन्हित कर लिया गया है। इन क्षेत्रों में बालिकाओं के शालात्याग की समस्या अधिक है। इनके माता पिता बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं

देते और कुछ समय तक विद्यालयों मे भेजने के बाद उन्हे वापस ले लेते हैं साथ ही साथ कुछ बच्चे विद्यालय में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ जाने के कारण निराशा युक्त हो जाते हैं और शालात्याग देते हैं। ऐसी स्थिति में कोर्स के द्वारा उनको विशेष उपचारात्मक शिक्षण देकर उनका स्तरोन्नयन किया जाने का प्रस्ताव है। प्रत्येक ब्रिज कोर्स में 30 छात्र होंगे ।

ब्रिज कोर्स हेतु चिन्हित बस्तियां इस प्रकार है :-

सारणी संख्या 7.5 अ

ब्रिज कोर्स हेतु प्रस्तावित बस्तियाँ

न्याय पंचायत	बस्तियाँ
1. गेकड़ी	1. गेकड़ी (बस्ती पश्चिमी)
2. बसही	2. चमरौटी
3. घरवारा	3. मल्लहान

ब्रिज कोर्स. अभियान के 2001-02 में एक 2002-03 में एक 2003-04 में एक ब्रिज कोर्स चलाया जायेगा । इसकी अवधि 3 माह की होगी।

सारणी 7.5 बी

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04
ब्रिज कोर्स	1	1	1

विद्यालय वापस चलो शिविर (समर कैम्प)-

इस प्रकार के शिवरों का प्रमुख उद्देश्य शालात्यागी बच्चों विशेषकर बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। यह शिविर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनो के ही लिए चलाये जाने है। शिविरों का संचालन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में होगा इन शिविरों में उपचारात्मक शिक्षा के माध्यम से सभी बच्चों को जो शालात्याग कर चुके हैं और इसके कारण शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ गये हैं उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से शिक्षित करके उनके स्तर के अनुसार औपचारिक. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। शिविर की अवधि 10 दिन की होगी। इन शिविरों में ऐसे बच्चों को भी प्रवेश दिया

जायेगा जो विद्यालय से बाहर रहे हैं और आम प्रेरणा के आभाव में शिक्षा की मुख्या धारा से वंचित रहे हैं। इन शिविरों में बालक बालिकाओं के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जायेगा और साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से शैक्षिक वातावरण का निर्माण किया जायेगा। प्रत्येक समर कैम्प में 40 बच्चे होंगे ।

विकास खण्ड करछना के करछना, गधियांव एवं मेडरा न्याय पंचायतों में बालिकाओं की समस्या बहुत अधिक है। अतः इनमें ऐसी बस्तियों का चिन्हींकरण किया गया है जहाँ यह समस्या अधिक है और इन बस्तियों के निकटस्थ विद्यालयों में कुल 3 समर कैम्प कराने का प्रस्ताव किया गया है । जिसका विवरण इस प्रकार है :-

सारणी 7.6
प्रस्तावित ग्रीष्म कालीन शिविर

क्र०	न्याय पंचायत का नाम	नाम विद्यालय	ड्राप आउट दर (प्रतिशत)
1.	करछना	प्रा०वि० करछना-I	13
2.	पनासा	मेडरा	13
3.	घोड़ेडांह	गधियांव	12

वर्ष 2001-2002 में 2 विद्यालय तथा 2002-2003 में एक विद्यालय में संचालित किया जायेगा।

अध्याय-8

ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत विगत 7 वर्षों में विद्यालयों के बच्चो के ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाये गये। योजना आरम्भ करते समय विकास खण्ड करछना में शालात्याग की दर 60 प्रतिशत थी जो 1999 2000 में सीमैट, इलाहाबाद द्वारा किये गये बेस लाईन सर्वेक्षण के अनुसार घट कर 50 प्रतिशत रह गयी। परन्तु अभी भी शालात्याग की दर बहुत अधिक है। बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शालात्याग की दर को कम करने के लिए अनेक प्रयास किये गये। जैसे विकास खण्ड के 18 प्रा. विद्यालयों नये एवं 10 विद्यालय का पुर्न निर्माण किया गया । 64 विद्यालयों में हैण्ड पम्प लगवाये गये, 89 विद्यालयों में शौचालय बनवाये गये, बढ़ते हुये छात्र नामांकन को देखते हुये 138 अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्मित कराये गये। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के पश्चात अध्यापन क्रिया आधारित तथा बालकेंद्रित शिक्षण द्वारा बच्चों को विद्यालय में रोक सके इसके लिए बोधात्मक प्रशिक्षण तथा भाषा गणित एवं पर्यावर्णीय अध्ययन में विषय गत प्रशिक्षण दिया गया। ठहराव हेतु सामुदायिक सहयोग प्राप्त हो सके इसके लिए ग्राम शिक्षा समिति का भी प्रशिक्षण कराया गया। वर्तमान में सभी प्राथमिक शिक्षक उपर्युक्त प्रशिक्षण को प्राप्त कर चुके हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में यद्यपि पेयजल, शौचालय और अतिरिक्त कक्षा कक्ष की व्यवस्था की गयी है। परन्तु सभी विद्यालय इससे आच्छादित नहीं हो पाये हैं। उ. प्र. बेसिक शिक्षा परियोजना 2 के अंतर्गत उच्च प्रोथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को विज्ञान एवं गणित में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। परन्तु अन्य विषयों में प्रशिक्षण नहीं हो पाया। प्राथमिक स्तर पर अनु.जा., जन.जा. के बालक तथा एवं सभी वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं अनुसूचित जाति, जन.जा., पिछड़ी जाति तथा अल्प संख्यक समुदाय के छात्रों को छात्र वृत्तियां दी जा रही हैं। इस प्रकार परियोजना के अंतर्गत अनु.जा. के बालक बालिकाओं और सभी वर्ग की बालिकाओं को विद्यालय में ठहराव के लिए अनेकों प्रयास किये गये।

उपर्युक्त प्रयासों के बावजूद अभी भी शालात्याग की दर बहुत अधिक है। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत यह प्रयास किया जावेगा कि शत प्रतिशत विद्यालय मूलभूत सुविधाओं से युक्त हों।जिसके लिए जनवरी/फरवरी 2001 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत परिवार का सर्वेक्षण किया गया और गॉव स्तर पर विद्यालय की आवश्यकताओं का चिन्हिकरण किया गया। न्याय पंचायत वार इनका विवरण इस प्रकार है:-

सारणी-8.1

अतिरिक्त भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता (2001-02 के अनुसार)

क्र० सं०	न्याय पंचायत का नाम	स्तर	विद्यालय संख्या (परिषदीय)	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	शौचालय	हैण्डपम्प	चहार दीवारी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	करछना	प्रा०	11	22		3	9
		उ०प्रा०	1	2			1
2	घटवा	प्रा०	7	15		2	7
		उ०प्रा०	1	2		–	1
3	बरदहा	प्रा०	8	13		2	8
		उ०प्रा०	1	1		–	1
4	गेकड़ी	प्रा०	9	18	2	4	8
		उ०प्रा०	2	4		1	2
5	घरवारा	प्रा०	13	35	1	2	13
		उ०प्रा०	2	3			2
6	खाड	प्रा०	7	17		1	7
		उ०प्रा०					
7	बीरपुर	प्रा०	11	21	1	5	10
		उ०प्रा०	2	3	1	2	2
8	घोड़े टीह	प्रा०	10	14		2	10
		उ०प्रा०	1	1			
9	डाडा	प्रा०	12	24	2	6	12
		उ०प्रा०	3	4			3
10	पनारा	प्रा०	7	13	1	1	8
		उ०प्रा०	2	4		1	2
11	बगही	प्रा०	11	5		1	10
		उ०प्रा०	1	3			1
	योग	प्रा०	106	207	8	29	102
		उ०प्रा०	16	27	1	5	16
	महायोग		122	234	9	34	118

8.1A अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र–

विकास खण्ड करछना के प्राथमिक विद्यालयों में बढ़ी हुई छात्र संख्या के अनुरूप शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से 2001-2002 में निर्धारित मानक 40:1 के अनुसार 71 शिक्षकों तथा 71 शिक्षा मित्रों की कुल 142 शिक्षकों/शिक्षा मित्रों की आवश्यकता है। शिक्षा मित्रों को 10 माह के लिए संविदा के आधार पर रखा जायेगा तथा 2250 रु. प्रतिमाह मानदेय की व्यवस्था की जायेगी । उत्कृष्ट शिक्षा मित्र को पुरष्कृत करने का भी प्रस्ताव है । शिक्षा मित्रों को भी कुशल शिक्षण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा । वर्तमान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल 32 शिक्षकों की आवश्यकता है। अभियान के अग्रिम वर्षो में छात्र नामांकन वृद्धि के फलस्वरूप प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी जिसे निम्नलिखित सारणी 8.2.1 तथा 8.2.2 में प्रदर्शित किया गया है:-

सारणी-18.2.2

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता

Karchana

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	वर्तमान शिक्षक	वर्तमान शिक्षामित्र	योग (3+4)	40:1 दर से शिक्षक	आवश्यक शिक्षक
	1	2	3	4	5	6	7
1	2001-2002	23137	281	155	436	578	142
2	2002-2003	24287	352	226	578	607	29
3	2003-2004	25824	367	240	607	646	39
4	2004-2005	26341	386	260	646	659	13
5	2005-2006	26868	392	267	659	672	13
6	2006-2007	27405	398	274	672	685	13
7	2007-2008	27953	405	280	685	699	14
8	2008-2009	28512	412	287	699	713	14
9	2009-2010	29083	419	294	713	727	14

क्रमांक	वर्ष	कुल आवश्यकता	नवीन प्रा.नि. के शिक्षक (प्र.अ. +शिक्षा मित्र)	अन्य शिक्षक	अन्य शिक्षा मित्र	क्रमागत शिक्षक	क्रमागत शिक्षा मित्र
	1	3	4	5	6	7	8
1	2001-2002	142	10	66	66	71	71
2	2002-2003	29	6	12	11	86	85
3	2003-2004	39	4	17	18	105	105
4	2004-2005	13	0	6	7	111	112
5	2005-2006	13	0	6	7	117	119
6	2006-2007	13	0	7	6	124	125
7	2007-2008	14	0	7	7	131	132
8	2008-2009	14	0	7	7	138	139
9	2009-2010	14	0	7	7	145	146

नोट : वर्ष 2000-2001 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय का नामांकन 21780 है जिसके आधार पर आगामी वर्षों की प्रक्षेपण किया गया है ।

सारणी-8.2.2

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता

Karchana

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:5 शिक्षक	वर्तमान शिक्षक	आवश्यक शिक्षक
	1	2	3	4	5	7
1	2001-2002	16	6	110	78	32
2	2002-2003	22	6	140	110	30
3	2003-2004	28	6	170	140	30
4	2004-2005	34	6	200	170	30
5	2005-2006	40	10	250	200	50
6	2006-2007	50	8	290	250	40
7	2007-2008	58	0	290	290	0
8	2008-2009	58	0	290	290	0
9	2009-2010	58	0	290	290	0

Karchana

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:4 की दर से	वर्तमान कक्षा कक्ष	आवश्यक कक्षा कक्ष
	1	2	3	4	5	6
1	2001-2002	16	6	88	61	27
2	2002-2003	22	6	112	88	24
3	2003-2004	28	6	136	112	24
4	2004-2005	34	6	160	136	24
5	2005-2006	40	10	200	160	40
6	2006-2007	50	8	232	200	32
7	2007-2008	58	0	232	232	0
8	2008-2009	58	0	232	232	0
9	2009-2010	58	0	232	232	0

शिक्षक अनुदान :

प्रा. तथा उ.प्रा. विद्यालय के सभी नये तथा पुराने अध्यापकों को कक्षा शिक्षण में सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा । इस हेतु सभी प्राथमिक तथा उ.प्राथमिक शिक्षकों को सहायक शिक्षण सामग्री हेतु 500 रु. प्रति वर्ष प्रति शिक्षक दिया जायेगा । इसका वर्गीकरण निम्नवत है :-

सारणी 8.1 ए.1

शिक्षक अनुदान

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
प्राथमिक	578	607	646	659	672	685	699	713	727
उच्च प्राथमिक	110	140	170	200	250	290	290	290	290

8.1B शौचालय–

वर्तमान में कुल 106 प्राथमिक विद्यालय 16 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें 98 प्राथमिक तथा सभी 15 उच्च प्राथमिक विद्यालय में शौचालय हैं। सभी विद्यालय को शौचालय युक्त करने के लिए 9 शौचालयों की आवश्यकता है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय के लिये 8 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिये 1 शौचालय प्रस्तावित है। जिसे योजना के प्रथम वर्ष में ही बनवा दिया जायेगा ।

8.1C हैण्डपम्प–

यद्यपि उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत ब्लाक के 77 प्राथमिक एवं 11 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था की गई है। फिर भी 34 प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां पेयजल की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण इन विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति नहीं हो पाती है। अतः 34 हैण्डपम्प लगवाने का प्रस्ताव किया गया है। इसे योजना के प्रथम वर्ष में पूर्ण कर लिया जयेगा । इसका न्याय पंचायतवार विवरण तालिका 8.1 में दिया गया है तथा सूची निम्नलिखित है :-

शौचालय विहीन विद्यालय		हैण्डपम्प विहीन विद्यालय		चहारदीवारी युक्त विद्यालय	
क्र०	*नाम विद्यालय*	*क्र०*	*नाम विद्यालय*	*क्र०*	*नाम विद्यालय*
1.	प्रा०वि० पनासा उपरहार	1.	प्रा०वि० पनासा	1.	प्रा०वि० करछना-I
2.	प्रा०वि० बरांव-I	2.	प्रा०वि० बसरिया	2.	प्रा०वि० करछना-II
3.	प्रा०वि० बरांव-II	3.	प्रा०वि० रामपुर	3.	प्रा०वि० मडवा
4.	प्रा०वि० भगनपुर	4.	प्रा०वि० हरदुआ	4.	प्रा०वि० बरांव-I
5.	प्रा०वि० मझुवा	5.	प्रा०वि० मुंगारी-II		
6.	प्रा०वि० धरवारा-II	6.	प्रा०वि० कपटुआ		
7.	प्रा०वि० डीहा-II	7.	प्रा०वि० नैरना		
8.	प्रा०वि० रामपुर सिमरहा	8.	प्रा०वि० बरांव-II		
9.	उ०प्रा०वि० बीरपुर	9.	प्रा०वि० मछहर उर्फ पुरवा		
		10.	प्रा०वि० निंदौरा		
		11.	प्रा०वि० झौरा लच्छीपुर		
		12.	प्रा०वि० भगनपुर		
		13.	प्रा०वि० इसौटा		
		14.	प्रा०वि० बिरहागिधौरा		
		15.	प्रा०वि० बरदहा-II		
		16.	प्रा०वि० मंजई		
		17.	प्रा०वि० पुरैनी-II		
		18.	प्रा०वि० रामगढ़		
		19.	प्रा०वि० दक्षिणी कोलान		
		20.	प्रा०वि० केचुहा		
		21.	प्रा०वि० ककरम		
		22.	प्रा०वि० डीहा-II		
		23.	प्रा०वि० सेमरहा उपरहार		
		24.	प्रा०वि० रामपुर सेमरहा		
		25.	प्रा०वि० अमिलो		
		26.	प्रा०वि० रवनिका		
		27.	प्रा०वि० बदरहा		
		28.	प्रा०वि० भटाली		
		29.	उ०प्रा०वि० पनासा		
		30.	उ०प्रा०वि० बीरपुर		
		31.	उ०प्रा०वि० भगनपुर		
		32.	उ०प्रा०वि० केचुहा		
		33.	उ०प्रा०वि० रेकड़ी		

नोट– उक्त के अतिरिक्त प्राथमिक स्तर के 102 तथा उ०प्र० स्तर के 16 विद्यालय में चहार दीवारी उपलब्ध नही है।

8.1D चहार दीवारी–

विद्यालयों का सुन्दरीकरण बच्चों को विद्यालय की ओर आकर्षित करता है। सुन्दरीकरण तथा विद्यालय सामग्री की सुरक्षा हेतु चहार दीवारी की नितान्त आवश्यकता है। चहार दीवारी होने से विद्यालय भूमि का अतिक्रमण भी रूकता है। विकास खण्ड में कुल 122 में से 118 विद्यालय चहार दीवारी विहीन हैं। पूर्व में दी गई तालिका 8.1 के अनुसार कुल 118 विद्यालयों के लिये चहार दीवारी की आवश्यकता है जिसके निर्माण के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। योजना के प्रथम वर्ष में 40 द्वितीय वर्ष में 40 और तृतीय वर्ष 38 चाहर दीवारी का निर्माण कर दिया जायेगा ।

8.1E भवन मरम्मत–

उ.प्र. बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत कुछ पुराने तथा जर्जर विद्यालयों के मरम्मत कराये गये परन्तु वर्ष 1990 के पूर्व निर्मित 43 विद्यालयों में मरम्मत कराने की अभी भी आवश्यकता है. जिसमें 38 प्राथमिक विद्यालय तथा 5 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। इन 43 विद्यालयों में से प्राथमिक स्तर पर 8 तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 1, कुल 9 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ दीर्घ मरम्मत की आवश्यकता है। शेष 30 प्राथमिक स्तर तथा 4 उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में लघु मरम्मत की आवश्यकता है। इस प्रकार 43 विद्यालय भवनों के मरम्मत का प्रस्ताव है। लघु मरम्मत के अंतर्गत 20000/- रूपये प्रति विद्यालय तथा दीर्घ मरम्मत के अंतर्गत 70000/- रूपये प्रति विद्यालय व्यय किया जायेगा। मरम्मत योग्य विद्यालयों की सूची नीचे दी जा रही है । प्रथम वर्ष में वृहद में 5 लघु में 20 इसी प्रकार द्वितीय वर्ष में वृहद में 4 लघु में 14 भवन मरम्मत करवाये जायेंगे ।

वृहद/लघु मरम्मत योग्य विद्यालय

क्र०	नाम विद्यालय	वृहद/लघु	क्र०	नाम विद्यालय	वृहद/लघु
1.	प्रा०वि० पनासा	वृहद	23.	प्रा०वि० घोड़ेडीह	"
2.	प्रा०वि० बरदहा	"	24.	प्रा०वि० हरई	"
3.	प्रा०वि० महेवा	"	25.	प्रा०वि० मझुवा	"
4.	प्रा०वि० सेमरहा उपरहार	"	26.	प्रा०वि० पिपरांव	"
5.	प्रा०वि० करछना-I	"	27.	प्रा०वि० भटौली	"
6.	प्रा०वि० भरहा	"	28.	प्रा०वि० पुरैनी-I	"
7.	प्रा०वि० पचदेवरा	"	29.	प्रा०वि० बसही-I	"
8.	प्रा०वि० जगदीशपुर	"	30.	प्रा०वि० बसही-II	"
9.	प्रा०वि० देवरी खुर्द	लघु	31.	प्रा०वि० खजुरौल	"
10.	प्रा०वि० रामपुर	"	32.	प्रा०वि० लोहारी	"
11.	प्रा०वि० भगेसर	"	33.	प्रा०वि० खांई	"
12.	प्रा०वि० पनासा उपरहार	"	34.	प्रा०वि० अन्तहिया	"
13.	प्रा०वि० देहली	"	35.	प्रा०वि० धरवारा-I	"
14.	प्रा०वि० कटका	"	36.	प्रा०वि० डीहा-I	"
15.	प्रा०वि० भुवालपुर	"	37	प्रा०वि० अमिलो	"
16.	प्रा०वि० हथसरा	"	38.	प्रा०वि० करछना-II	लघु
17.	प्रा०वि० लोहदी	"	39.	उ०प्रा०वि० बसही-I	वृहद
18.	प्रा०वि० बरदहा-II	"	40.	उ०प्रा०वि० रोकड़ी	लघु
19.	प्रा०वि० कैथी	"	41.	उ०प्रा०वि० पनासा	"
20.	प्रा०वि० कोवा	"	42.	उ०प्रा०वि० डीहा	"
21.	प्रा०वि० सोनाई	"	43.	उ०प्रा०वि० केचुहा	
22.	प्रा०वि० लखरांवा	"			

भवन मरम्मत (वृहद/लघु)

वर्ष	2001-02	2002-03
लघु	20	14
वृहद	5	4

8.2 अतिरिक्त कक्षा कक्ष-

विकास खण्ड की वर्तमान छात्र संख्या प्राथमिक स्तर पर 21780 है जो 2001-2002 में बढ़कर 23137 हो जायेगी। इस छात्र संख्या को ध्यान में रखते हुये 40:1 के अनुसार कुल 578 शिक्षकों की आवश्यकता होगी। उतने ही कक्षा कक्षों की आवश्यकता होगी। जिनमें से वर्तमान में 361 कक्षा कक्ष उपलब्ध हैं। अतः 207 अतिरिक्त कक्षा कक्ष की आवश्यकता होगी। छात्र संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ-साथ अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता बढ़ती जायेगी। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालय में निर्धारित मानक के अनुसार 6। कक्षा कक्ष उपलब्ध है । 27 उ.प्रा.वि. में कक्षा कक्षा की आवश्यकता होगी। आगामी वर्षों में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुये तालिका संख्या 8.2.3 में वर्ष वार विवरण दिया गया है।

सारणी-8.2.3

प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों की वर्षवार आवश्यकता

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	40:1 दर से वांछित कक्षा-कक्ष	वर्तमान कक्षा-कक्ष	नवीन विद्यालय के कक्षा-कक्ष	योग (5+6)	आवश्यक कक्षा कक्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2001-02	23137	578	361	10	371	207
2.	2002-03	24287	607	578	6	584	23
3.	2003-04	25824	646	607	4	611	34
4.	2004-05	26341	659	646	0	646	13
5.	2005-06	26868	672	659	0	659	13
6.	2006-07	27405	685	672	0	672	13
7.	2007-08	27953	699	685	0	685	14
8.	2008-09	28512	713	699	0	699	14
9.	2009-10	29083	727	713	0	713	14

8.3A विद्यालय की सुविधायें (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय)-

सुन्दर और आकर्षक विद्यालय होने पर बच्चे उनकी ओर आकर्षित होते हैं जिससे विद्यालय में उनका धारण बढ़ता है। वर्तमान में विकास खण्ड में 106 प्राथमिक 16 उच्च प्राथमिक विद्यालय परिषदीय विद्यालय हैं जिनके रख-रखाव, रंगाई पुताई, छिटपुट मरम्मत इत्यादि हेतु 5000/- रूपये प्रति विद्यालय प्रति वर्ष की दर से विद्यालय मरम्मत और रख-रखाव का प्रस्ताव दिया गया है। नवीन विद्यालयों की स्थापना के पश्चात उन्हें भी रंगाई पुताई तथा रख रखाव हेतु धन सुलभ कराया जायेगा।

सारणी 8.2.3 अ

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
विद्यालय विकास	122	133	142	150	156	166	174	174	174
मरम्मत एवं रखरखाव	122	133	142	150	156	166	174	174	174

8.3B विद्यालय विकास अनुदान–

विद्यालयों में होने वाले सामान्य व्यय जैसे चाक/डस्टर की व्यवस्था स्टेशनरी विद्यालय अभिलेखों जैसे रजिस्टर, स्टेशनरी, टाट पट्टी तथा अन्य व्यय के लिये रूपया 2000/- प्रति विद्यालय की दर से नवीन तथा पूर्व के कुल 116 प्राथमिक विद्यालय तथा 58 उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए धन की माँग की गई है

8.3C बालिका शिक्षा–

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद के पुरुषों की साक्षरता राष्ट्रीय स्तर पर पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 48 तथा 13 प्रतिशत पाई गई, जबकि उत्तर प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता 55.73 और महिला साक्षरता केवल 25.31 प्रतिशत रही है। विकास खण्ड करछना की साक्षरता दर 31 है जिसमें 48 पुरुष तथा 13 प्रतिशत महिला हैं। सांमेट इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2000-2001 में प्रकाशित बेसलाइन सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जनपद इलाहाबाद में पुरुषों साक्षरता 48 और महिलाओं की 19 प्रतिशत है।

विभिन्न पंच-वर्षीय योजनाओं में बालिकाओं की शिक्षा को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महिला साक्षरता और शिक्षा को विशेष रूप से रेखांकित किया और तदानुसार बालिका शिक्षा विकास के लिये विशेष कार्यक्रम चलाये गये और जो अभी भी चल रहे हैं। शैक्षिक प्रबन्धन प्रणाली से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार उ०प्र० में सन् 1998-99 में बालक और बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात क्रमशः 113.68 तथा 92.64 प्रतिशत रहा (स्रोत : प्राथमिक एजुकेशन फॉर गर्ल्स, यू०पी० एडुकेशन फॉर आल प्रोजेक्ट बोर्ड 1998)। जबकि विकास खण्ड करछना में बालक एवं बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात 92 है।

इस विवरण से यह बात स्पष्ट रूप से उभर कर आ रही है कि साक्षरता तथा नामांकन दृष्टि से महिला वर्ग पुरुषों की तुलना में पीछे है। किसी भी राष्ट्र का विकास वहाँ की महिला साक्षरता से बहुत प्रभावित होता है। कहा जाता है कि एक महिला शिक्षित होने पर एक परिवार शिक्षित होता है। अतः बालिका शिक्षा हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है और सर्व

शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालकों का नामांकन शतप्रशित करने के साथ-साथ सभी वर्ग की शतप्रतिशत बालिकाओं का नामांकन भी 100 प्रतिशत करना है।

नामांकन हेतु चलाये गये विभिन्न अभियानों और गांव स्तर पर बैठक में आये विभिन्न स्तर के जनों से चर्चा के दौरान कई ऐसी समस्यायें उभर कर आई हैं जिनके समाधान के लिये बालिकाओं की विशिष्ट आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। विकास खण्ड करछना में सत्र 2000-2001 में की गयी सर्व शिक्षा अभियान परिवार सर्वेक्षण आधारित के अनुसार बालकों का शुद्ध नामांकन अनुपात कुल 94.5 तथा बालिकाओं का शुद्ध नामांकन अनुपात 89.5 है बालिकाओं के शतप्रशित नामांकन हेतु निम्नलिखित रणनीतियाँ प्रस्तावित हैं।

8.3.ए रणनीतियाँ–

उ.प्र. बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत बालिकाओं के नामांकन पर विशेष ध्यान दिया गया और इनके लिए जनजागरण अभियान, रैलियाँ, नुक्कड़ नाटक इत्यादि कार्यक्रम कराये गये जिसके फलस्वरूप बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुयी है परन्तु अभी भी शुद्ध नामांकन अनुपात 88 प्रतिशत है बालिकाओं के शतप्रतिशत नामांकन तथा ठहराव के लिये चरण बद्ध रूप में निम्नलिखित कार्यनीतियाँ अपनाई जायेंगी।

- जन जागरण अभियान चलाना।
- महिला मण्डल तथा मातृ शिक्षक बैठकों का आयोजन।
- सभी वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण।
- वे बालिकायें जो औपचारिक विद्यालयों में जा सकती हैं इनका नामांकन कराया जायेगा।
- ऐसी बालिकाएं जो औपचारिक विद्यालयों में नहीं जा सकतीं उनका ई.जी.एस. में प्रवेश कराया जायेगा।
- 11-14 वय वर्ग की बालिकायें जो गाँव की रूढ़वादी परम्परा के कारण बालकों के साथ विद्यालय में नहीं पढ़ना चाहतीं उनके लिये पृथक नवाचार केन्द्र खोले जायेंगे।

8.3B कार्यक्रम–

- जनजागरण अभियान– विकास खण्ड करछना में 1547 बालिकायें हैं जो अभी भी औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित नहीं हैं। इन बालिकाओं का नामांकन सुनिश्चित करने के लिये जन जागरण अभियान चलाये जायेंगे। विशेष कर न्याय पंचायत घटवा, घोडेडीह एवं वरदहा ऐसे हैं जहाँ पर बालिकाएं घरों में बीड़ी बनाती

हैं अथवा अल्पसंख्यक हैं और अपेक्षाकृत पिछड़े हुए हैं। इनमें माह जुलाई से सितम्बर तक प्रति माह एक बार जनजागरण अभियान चलाया जायेगा। इसके अन्तर्गत प्रभात फेरियाँ, जुलूस तथा पोस्टर तथा नारों का लेखन, जन सम्पर्क कार्यक्रम तथा महिला मण्डल की बैठकों का आयोजन किया जायेगा।

8.3C विकास खण्ड करछना में 6-11 वय वर्ग की 1547 बालिकायें तथा अन्य जो विद्यालय में नामांकित नहीं हैं तथा औपचारिक विद्यालयों में जाने की स्थिति में नहीं हैं उनके लिये प्रस्तावित 56 ई.जी.एस. केन्द्रों में उनका प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा।

8.4.1 माडल क्लस्टर डेवेलपमेन्ट एप्रोच–

विकास खण्ड करछना में एक न्याय पंचायत को माडल क्लस्टर के रूप में विकसित किया जायेगा। इस क्लस्टर का चयन इस आधार पर किया गया है कि यह केंद्र मुख्यालय से दूर उपेक्षित ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है इसे माडल क्लस्टर के रूप में विकसित करने पर अन्य क्लस्टर पर अच्छा असर पड़ेगा तथा सभी इससे अभिप्रेरित होंगे इस क्लस्टर के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे। धीरे-धीरे माडल क्लस्टर की संख्या में वृद्धि की जायेगी। इस प्रकार सन 2007 तक समस्त 11 न्याय पंचायत संसाधन केंद्र माडल क्लस्टर के रूप में विकसित हो जायेंगे वर्ष वार इनकी संख्या नीचे दी गयी है -

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-0
क्लस्टर	2	2	2	1	1	1	1	1

जन-जागरण अभियान–

माडल क्लस्टर में शतप्रतिशत बच्चों के नामांकन एवं उनके ठहराव एवं जन जागृति लाने हेतु न्याय पंचायत के प्रत्येक बस्ती तथा घर तक बैनर, पोस्टर, नारे, नुक्कड़ नाटक तथा गीत के साथ जागरण पैदा किया जायेगा। बालिकाओं की शिक्षा के लिये विशेष प्रयत्न किया जायेगा। सभी लक्ष्यगत समूह की बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन हो सके, वे नियमित रूप से विद्यालय आयें (ठहराव में वृद्धि) और उनकी शैक्षिक सम्प्राप्ति में वृद्धि हो इसके लिये घर-घर पहुंचना आवश्यक है। इस कार्य में स्थानीय शैक्षिक संस्थाओं और अन्य विभागों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। इसी के साथ निम्नलिखित कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगे।

1. मीना कम्पेन– इसके माध्यम से प्रत्येक गांव स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा। फिल्म प्रदर्शन, बैनर, चार्ट, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से माता-पिता तथा अभिभावकों को अभिप्रेरित किया जायेगा।

2. माँ-बेटी मेला आयोजन- ग्राम स्तर पर माँ-बेटी मेले का आयोजन किया जायेगा।

3. ग्राम शिक्षा समितियों की न्याय पंचायत स्तर पर कार्यशालायें / प्रशिक्षण- प्रत्येक स्तर पर समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित हो सके इसके लिये माता-शिक्षक तथा शिक्षक-अभिभावक एशोसिएशन, ग्राम शिक्षा समिति, महिला प्रेरक समूह, ब्लाक तथा न्याय पंचायत केन्द्रों के समन्वयक के लिये सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। माडल न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र घटवा को सामुदायिक गतिविधियों तथा शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित किये जायेंगे। इसमे विद्यालयीय बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्विज प्रतियोगितायें, खेलकूद, सुलेख, वाद-विवाद तथा निबन्ध लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा। इन कार्यक्रमों में समुदाय से जुड़े प्रधानाध्यापकों के साथ-साथ जन-समुदाय की सहभागिता भी सुनिश्चित की जायेगी।

8.4.2 ग्रीष्म-कालीन शिविर (केवल बालिकाओं के लिए)-

करछना ब्लाक में बालिका नामांकन प्रतिशत 89.5 है और बालिकाओं के नामांकन, विद्यालय में बने रहने और गुणवत्तापूर्ण सम्प्राप्ति हेतु विकास खण्ड के प्रत्येक न्याय पंचायत में एक ग्रीष्मकालीन शिविर लगाने का प्रस्ताव है। इन शिविरों में शालात्यागी बालिकाओं उनके अभिभावकों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रधान तथा समुदाय के प्रतिनिधियों को शिविर में सम्मिलित करके बालिकाओं को विद्यालय लाने के लिये प्रेरित किया जायेगा। इस तरह 11 न्याय पंचायत में से 3 केंद्र में स्थित क्लस्टर पर 10 दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर लगाये जायेंगे। इस प्रकार करछना ब्लाक में प्रथम वर्ष कुल 3 शिविर लगाने का प्रस्ताव है। क्रमांक 1 से 4 पर अंकित कार्यक्रमों के लिए न्यायपंचायत वार जिन बस्तियों का चयन किया गया है वे निम्नांकित है। इन बस्तियों के चयन का आधार इनमें बालिकाओं के ड्राप आउट रेट की अधिकता है, जिससे निम्न सारणी 8.5 में दिखया गया है। इसमें प्रतिभागियों की संख्या 40 होगी ।

सारणी 8.5

मीना कैम्पेन मेला, कार्यशाला तथा समर शिविर प्रस्ताव

(न्याय पंचायत वार)

क्र.	नाम न्याय पंचायत	नाम बस्ती	संचालित कार्यक्रम संख्या			
			मीना कैम्पेन	मेला	कार्यशाला	समर शिविर
1.	करछना	करछना, मुगारी	1	1	1	1
2.	घटवा	करेहा, घटवा	1	1	1	
3.	वरदहा	कर्थी, कोवा, सोनाई	1	1	1	
4.	सोकड़ी	खजुरी, मुण्डा, बरगव	1	1	1	
5.	धरवारा	धरवारा, अरई, केचुहा	1	1	1	
6.	खाँई	बस्तर, अन्तडिया, देवरी कला	1	1	1	
7.	वीरपुर	वीरपुर, मड़वा, लोंहदी	1	1	1	
8.	घोड़ेडीह	मझुवा, पिपरगव, गधियांव	1	1	1	1
9.	डीहा	डीहा, चुप्पेपुर, अमिलो	1	1	1	
10	पनारी	देहली, भगेसर, मेडरा	1	1	1	
11.	बसही	बसही, बबुरा, रामगढ़, मेडरा	1	1	1	
	योग-		11	11	11	2

8.4.3 अन्य-

बालक की अपेक्षा बालिकायें अधिक संवेदनशील होती हैं। बालिकाओं की सुरक्षा तथा देखभाल के प्रति परिवार के लोग अधिक चिन्तित रहते हैं। परिवार को इनकी शिक्षा के लिये प्रेरित करने हेतु विशेष प्रयास करने होंगे। इसके लिये पोस्टर, पम्पलेट आदि द्वारा प्रचार-प्रसार किया जायेगा, बालक बालिका में भेद समाप्त कर बालिकाओं में स्वतंत्र सोच विकसित किया जायेगा। इस कार्यक्रम में बालिकाओं को निःशुल्क पुस्तकें प्रदान करने के साथ ही उनकी उपस्थिति, विद्यालयीय क्रियाकलाप के आधार पर प्रति विद्यालय 10 बालिकाओं को समारोह के माध्यम से पुरस्कृत किया जायेगा।

8.4.4 उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिये कार्यानुभव-

करके सीखने की शिक्षण विधि के आधार पर प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यानुभव शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा। इसके अन्तर्गत खिलौने बनाना, कला चित्रण, रंगाई, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई की शिक्षा के साथ-साथ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर टोकरियाँ, मिट्टी के खिलौने, कागज के सामान बनाने की कला सिखाई जायेगी। कार्यानुभव योजना में कृषि, पशुपालन, पुस्तक कला, धातुकला, आदि से सम्बन्धित सामान्य

ज्ञान, अनुभव आधारित कर विद्यालय के प्रति आकर्षण पैदा किया जायेगा। विकास खण्ड स्तर पर प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय बसहा में सिलाई का कार्य कार्यानुभव योजना में प्रस्तावित है। इसी के साथ प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की गई है जो बालक एवं बालिकाओं के लिये रोजगार परक होगा।

बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित कार्यक्रमों का वर्णन वर्षवार विवरण तालिका 8.5 अ में है ।

सारणी 8.5 अ

	वर्ष								
कार्य क्रम का नाम	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
समर कैम्प	1	1							
लिंग संवेदन शीलता	1	1	1	1	1	1	1	1	1
कार्यानुभव	1	1	1	1	1	1	1	1	1

8.5 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण-

आकर्षक एवं उपयोगी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का छात्र नामांकन तथा उनके विद्यालय में ठहराव हेतु विशेष महत्व है। समस्त प्राथमिक तथा उ.प्राथमिक स्तर की बालिकाओं और अनुसूचित जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित करने का प्रस्ताव है। आगामी 10 वर्षों तक समस्त प्राथमिक स्तर की बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति बालकों की अनुमानित संख्या का आकलन करते हुए उनके लिये निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था का प्रस्ताव है, जिसे तालिका 8.6A&6B के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। निःशुल्क पाठय पुस्तकों के साथ विद्यालयों में बच्चों के अधिगम में वृद्धि हेतु प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर में अनुपूरक शिक्षा सामग्री की भी व्यवस्था की गयी है ।

बच्चों में स्व अध्ययन की प्रवृत्ति को जागृत करने के लिए भी स्कूल पुस्तकालय का प्रावधान है, ।

8.6 छात्र अधिगम का मूल्यांकन -

छात्रों के मूल्यांकन का अभिलेखन करने हेतु प्रत्येक छात्र के लिए छात्र प्रगति पत्र की व्यवस्था की गयी है । इससे छात्र की प्रगति से अभिभावक अवगत हो सकेंगे । और उनकी विद्यालय के प्रति सहभागिता बढ़ेगी साथ ही साथ छात्रों में भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जागृत होगी ।

सारणी 8.6 ए.

क्र० सं०	न्याय पंचायत का नाम	6-11 वय वर्ग के प्राथमिक स्तर पर कुल अध्ययनरत बालिकायें तथा अनुसूचित जाति बालक वर्षवार																			
		2000-2001		2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010	
		कुल लड़कियाँ	अनु० लड़के	कुल लड़कियाँ	अनु० लड़के	कुल लड़कियाँ	अनु० लड़के	कुल लड़कियाँ	अनु० लड़के	कुल लड़कियाँ	अनु० लड़के	कुल लड़कियाँ	अनु० लड़के	कुल लड़कियाँ	अनु० लड़के	कुल लड़कियाँ	अनु० लड़के	कुल लड़कियाँ	अनु० लड़के	कुल लड़कियाँ	अनु० लड़के
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	करछना	1068	371	1092	379	1117	388	1143	397	1169	406	1196	415	1223	425	1251	435	1280	445	1309	455
2.	चदवा	733	351	750	359	767	367	785	375	803	384	821	393	840	402	859	411	879	420	899	430
3.	बरदहा	803	418	821	428	840	438	859	448	879	458	899	468	920	479	941	490	963	501	985	512
4.	सेकड़ी	913	441	934	451	955	461	977	472	999	483	1022	494	1045	505	1069	517	1093	529	1118	541
5.	धरवारा	1420	466	1453	477	1486	488	1520	499	1555	510	1591	522	1627	534	1664	546	1702	559	1741	572
6.	खाँई	659	292	674	299	689	306	705	313	721	320	738	327	755	334	772	342	790	350	808	358
7.	बीरपुर	1254	283	1283	289	1312	296	1342	303	1373	310	1404	317	1436	324	1469	331	1503	339	1537	347
8.	घोड़ेड़ीह	914	306	935	313	956	320	978	327	1000	334	1023	342	1046	350	1070	358	1095	366	1120	374
9.	डोहा	1189	351	1216	359	1244	367	1272	375	1301	384	1331	393	1361	402	1392	411	1424	420	1457	430
10.	पनारा	569	156	582	160	595	164	609	168	623	172	637	176	652	180	667	184	682	188	698	192
11.	बगहा	868	294	888	301	908	308	929	315	950	322	972	329	994	337	1017	345	1040	353	1064	361
	योग–	**10390**	**3729**	**10628**	**3814**	**10871**	**3901**	**11120**	**3990**	**11375**	**4081**	**11635**	**4174**	**11901**	**4270**	**12174**	**4368**	**12453**	**4468**	**12738**	**4570**
	महायोग	**14119**		**14442**		**14772**		**15110**		**15456**		**15809**		**16171**		**16542**		**16921**		**17308**	

सारणी 8.6 बी

उ.प्रा. के कुल बालिकाएँ तथा बालक अनु.जा.

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
कुल बालिकाए तथा बालक	2151	2782	3095	3157	3220	3284	3350	3417	3485
अनु.जाति									

8.7 क्रियात्मक शोध -

विद्यालय समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षकों द्वारा क्रियात्मक शोध किया जाना अति आवश्यक है इससे वे स्वयं अपनी समस्याओं की पहचान कर सकेंगे और तदानुसार उसके समाधान हेतु वैज्ञानिक पद्धति अपना सकेंगे इससे जहाँ एक ओर अध्यापकों की क्षमता का सम्वर्द्धन होगा वहीं दूसरी ओर विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा इसके लिए आवश्यक धनराशि का प्रस्ताव किय गया है ।

8.6.1 समेकित एवं सम्मिलित शिक्षा (विकलांग वच्चों के लिये)-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी 6-14 वय वर्ग के बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि विकलांग बच्चों की शिक्षा पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाये और इन्हें शिक्षा के लिये सभी अवसर सुलभ करगये जाये जो सामान्य वच्चों को प्राप्त होते हैं। जिससे वे शिक्षा के मुख्य धारा से अपने को वंचित न समझें, इस बात को ध्यान में रखते हुए ब्लाक के विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिये निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

1. नियमित परिषदीय विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ-साथ अल्प विकलांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना।
2. लक्ष्यगत वय वर्ग के बच्चों को सामान्य वच्चों के समान शिक्षा के अवसर को सुलभ कराना।
3. 6-14 वय वर्ग के बच्चों में आत्म सम्मान एवं विश्वास विकसित करने के लिये विद्यालयों में अनुकूल वातावरण का निर्माण करना।
4. समेकित शिक्षा के अन्तर्गत सम्मिलित होने वाले विकलांग बच्चों की शिक्षा के प्रति समुदाय में जन जागरण और सम्वेदन शीलता का विकास करना।
5. शिक्षा अभिकर्मियों को विकलांग बच्चों की शिक्षा देने के लिये आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना।

8.6.2 उपयुक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये ब्लाक में अपनाई जाने वाली कार्यनीति इस प्रकार से होगी -

1. विकास खण्ड स्तर पर एक संदर्भ समूह तैयार किया जायेगा, जिन्हें विकलांग बच्चों की शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. इस संदर्भ समूह द्वारा ब्लाक संसाधन केन्द्र पर प्रत्येक न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयक और अध्यापक की विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।
3. ग्राम शिक्षा समिति व समुदाय के लोगों में इन वच्चों के प्रति सम्वेदनशीलता जागृत हो सके इसके लिये विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। सभी प्रकार के प्रशिक्षण में विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिये एक माड्यूल जोड़ा जायेगा।
4. स्थानीय स्तर पर कार्यरत स्वैक्षिक संस्थाओं, स्वास्थ्य संस्थाओं और समाज कल्याण संस्थाओं का सहयोग लेकर विकलांग बच्चों का चिन्हीकरण किया जायेगा और निकटस्थ विद्यालयों में भर्ती कराया जायेगा।

5. विकलांग बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सके इसके लिये उन्हें आवश्यक उपकरणों को जैसे कैलीपर, सुनने की मशीन, चश्मे तथा अत्य आवश्यक वस्तुओं को डाक्टर की सलाह के अनुरूप निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिए स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग और समर्थन प्राप्त किया जायेगा। विकलांग केंद्र इलाहाबाद की मदद से विकलांग बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं का चिन्हिकरण किया जायेगा।
6. विकलांग बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण होगा तथा उन्हें स्वस्थता कार्ड दिये जायेंगे। स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डाक्टर द्वारा 3 माह में 1 बार स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा।
7. प्रदेश के मानक के अनुसार ऐसे बच्चों के लिये आवश्यक छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और अधिगम सामग्री उपलब्ध कराई जायेंगी। छात्र वृत्ति की व्यवस्था समाज कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य अधिगम सामग्री की व्यवस्था अभियान के अंतर्गत प्रस्तावित की गयी हैं

8.6.3 समेकित शिक्षा हेतु विकलांग बच्चों का चिन्हीकरण–

परियोजना पूर्व क्रिया कलाप के अन्तर्गत विकास खण्ड करछना में विकलांग बच्चों का सर्वेक्षण करगया गया । इस संदर्भ में सीमेट, इलाहाबाद द्वारा विकलांग केंद्र, इलाहाबाद की सहायता से कराये गये सेम्पल सर्वेक्षण का भी अध्ययन किया गया जिसमें ऐसे बच्चों को चिन्हित किया गया है जो अल्प विकलांगता से ग्रस्त हैं । अल्प विकलांगता से ग्रस्त बच्चों का विस्तृत विवरण न्याय पंचायत वार निम्न सारणी में प्रदर्शित है । विकलांग बच्चों की संख्या अधिक नहीं है अतः इन्हें अभियान के प्रथम वर्ष में ही सुविधाएँ प्रदान कर दी जायेंगी।

सारणी 8.6.1
न्याय पंचायतवार विकलांगों की संख्या

क्र०	न्याय पंचायत का नाम	शारीरिक विकलांग	दृष्टि दोष	मन्द बुद्धि	श्रवण दोष	अन्य
1.	करछना	17	2	3	5	–
2.	घटवा	9	3	2	1	–
3.	वरदहा	7	3	–	–	–
4.	गेकरहा	16	–	–	–	–
5.	धरवारा	20	4	–	2	–
6.	खाँई	6	1	–	1	–
7.	वीरपुर	9	4	–	2	–
8.	घोड़ेडाह	15	9	1	–	–
9.	डीहा	8	–	–	6	–
10.	पनासा	6	2	–	1	–
11.	बसही	16	–	–	–	–
	योग–	119	28	6	24	177

विकास खण्ड में कुल 177 6-14 वयवर्ग के बच्चे परिवार सर्वेक्षण के आधार पर चिन्हित किये गये जो विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित है । इनमें से 40 विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं जिनके लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होगी । इस हेतु विशिष्ट चिकित्सों के परामर्श से सुविधाएं सुलभ करायी जायेगी ।

तथा समेकित शिक्षा हेतु त्रिस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जायेंगे, जिसके लिये विकलांग केन्द्र, इलाहाबाद का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

1. मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण– इसमें जनपद स्तर पर करछना ब्लाक के 4 मास्टर ट्रेनर के हिसाब से ट्रेनर प्रशिक्षित किये जायेंगे, जिनका प्रशिक्षण विकलांग केन्द्र के विशेषज्ञ अथवा अन्य राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ द्वारा किया जायेगा। प्रशिक्षण की अवधि तथा चक्रों का निर्धारण विकलांग केन्द्र के सुझाव के अनुसार किया जायेगा।

2. ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण– जनपद स्तर पर प्रशिक्षित चार मास्टर ट्रेनर द्वारा विकास खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। समेकित शिक्षा के अनुश्रवण हेतु सम्बन्धित सहायक, बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा ब्लाक तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयक को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

3. सम्बेदन शीलता का प्रशिक्षण– विकलांग बच्चों के प्रति सम्बेदनशीलता का विकास करने हेतु दो दिवसीय सम्बेदन शीलता प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास खण्ड स्तर पर चलाये जायेंगे, जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

8.7 छात्र स्वास्थ्य परीक्षण–

प्रत्येक छात्र का वार्षिक प्रगति के साथ उनके स्वास्थ्य प्रगति सम्बन्धी जानकारी हेतु चेकअप पंजिकाएँ प्रत्येक विद्यालय में रखी जायेंगी। स्वास्थ्य परीक्षण कार्य प्रति वर्ष प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सक दल द्वारा न्याय पंचायत स्तर पर कैम्प लगा कर किया जायेगा। तीन-तीन दिन के कैम्प से न्याय पंचायत स्तर के सभी बच्चों का परीक्षण कराने का प्रस्ताव है। इस कार्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक और स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। प्रति वर्ष कम से कम 11 कैम्प की आवश्यकता पड़ेगी। न्याय पचायतवार छात्र नामांकन तालिका 2.4 में दिया गया है। जिसको दृष्टिगत रखते हुए कैम्प की अवधि तथा आवृत्ति का निर्धारण किया जायेगा। हेल्थ वार्ड तथा रजिस्टर इत्यादि का व्यय सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा वहन किया जायेगा। जबकि औषधियों और अन्य उपकरणों के लिए स्वास्थ्य विभाग से सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

8.8 सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम–

विकास खण्ड करछना सहित जनपद इलाहाबाद में सन् 1993 से 2000 तक उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना चलाई गयी। यह परियोजना 30 सितम्बर 2000 को समाप्त हो गई। परियोजना की उपलब्धियों को बनाये रखने और शैक्षिक सम्वर्धन कार्यक्रमों को गतिशीलता देने की दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण और साहसिक प्रयास है। अभियान प्रारम्भ होने से पूर्व यह जानना भी आवश्यक है कि ऐसे बच्चे जो उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना अवधि में विद्यालयों में नहीं जुड़ पाये हैं उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से शिक्षा के साथ जोड़ा जाना है। इस गुरुतर दायित्व को पूर्ण करने के लिये सामुदायिक सहभागिता की नितान्त आवश्यकता है। जब तक जनसमुदाय विद्यालय को नहीं अपनायेगा और इनकी व्यवस्था की जिम्मेदारी वहन नहीं करेगा तब तक सभी लक्ष्यगत बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा के साथ जोड़ना अत्यन्त दुरुह कार्य होगा। अतः अभियान को मूर्त रूप देने के लिये सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रमों को चलाना अत्यन्त आवश्यक और अपरिहार्य है। अभियान के प्रारम्भिक चरण में उन बच्चों के चिन्हांकरण करने का कार्य किया गया जो अब तक विद्यालय में नामांकित नहीं हुए थे। इस हेतु निम्नलिखित कार्यक्रमों को चलाया गया।

8.8.1 स्कूल चलो अभियान–

माह जुलाई 2000 में जिलाधिकारी, इलाहाबाद के संरक्षण में स्कूल चलो अभियान चलाया गया। इस अभियान के अन्तर्गत माह जुलाई में गांव स्तर, ब्लाक स्तर पर बच्चों की रैलियां निकाली गयीं, पोस्टर, बैनर, नारे के द्वारा जन सम्पर्क अभियान चलाये गये। घर-घर जाकर परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से ऐसे बच्चों की पहचान की गयी, जो विद्यालय में नामांकित नहीं हुए हैं। इस अभियान में शिक्षा विभाग के साथ-साथ अन्य विभागों जैसे स्वास्थ्य, राजस्व, ग्राम विकास, पंचायती राज इत्यादि को जोड़ा गया और बच्चों का नामांकन कराया गया। विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक प्रमुख की अध्यक्षता में ग्राम प्रधान तथा शिक्षा अभिकर्मियों की उपस्थिति में इस अभियान को सफल बनाने के लिये कई बैठकें की गई।

8.8.2 सर्व शिक्षा अभियान द्वारा आकड़ों का संकलन और विश्लेषण–

31 दिसम्बर, 2000 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार, डॉ० मुरली मनोहर जोशी जी द्वारा जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, इलाहाबाद सहित जनपद के समस्त शिक्षा अधिकारियों, अभिकर्मियों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत एक जुट होकर 6-14 वय वर्ग के सभी बच्चों को विद्यालय में नामांकन करने, उनको गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिये आह्वान किया गया।

माह जनवरी तथा फरवरी में पुनः ग्राम स्तर से लेकर ब्लाक स्तर तक जन जागरण के लिये अन्य विभागों को साथ में लेकर मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन और जिलाधिकारी के संरक्षण में अभियान चलाया गया। इस अभियान को चलाने के लिये विकास खण्डवार अभिप्रेरक दल गठित किये गये जिसमें ब्लाक स्तर पर एक जोनल अधिकारी तथा प्रत्येक दो न्याय पंचायत स्तर पर एक सेक्टर अधिकारी और ब्लाक तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के समन्वयकों को सदस्यों के रूप में रखा गया। दल के सभी सदस्यों का 5 जनवरी, 2001 को सीमैट द्वारा अभियान से जुड़े सभी अभिकर्मियों का प्रशिक्षण सम्पन्न किया गया है। तदुपरान्त इस दल ने जनजागरण अभियान प्रारम्भ किया जिसका विस्तृत विवरण नियोजन प्रक्रिया अध्याय 3 में दिया गया है।

परिवार सर्वेक्षण से प्राप्त आकड़ों के आधार पर विकास खण्डवार योजनाबद्ध तरीके से वातावरण सृजन करने हेतु सभी विभागों के सहयोग से कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

8.8.3 वातावरण सृजन–

सभी लक्ष्यगत बच्चे विद्यालयों में नामांकित हों, उनकी नियमित उपस्थिति बनी रहे तथा उन्हें गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिये विकास खण्ड, करछना में ग्राम स्तर से लेकर विकास खण्ड स्तर तक शैक्षिक वातावरण सृजन की निरन्तरता बनाये रखना आवश्यक है। यह

कार्यक्रम प्रथम 3 वर्षों तक चलाये जाने का प्रस्ताव है। प्रत्येक सत्र में जुलाइ से सितम्बर तक नामांकन हेतु जनजागरण कार्यक्रम चलाये जायेंगे। तदुपश्चात समुदाय का विद्यालयी व्यवस्था में सहयोग प्राप्त हो सके इसके लिये शिक्षक अभिभावक तथा माता अभिभावक एशोसिएशन, बाल सभा, कुमार्ग सभा, नुक्कड़ नाटक तथा विद्यालयों एवं संकुल केन्द्रों में साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। यह आशा की जाती है कि प्रथम तीन वर्षों के पश्चात इतना जन जागरण हो जायेगा कि समुदाय की सहभागिता स्वतः ही बढ़ जायेगी और जन जागरणों की आवश्यकता धीरे-धीरे कम हो जायेगी।

8.8.4 ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण–

सामुदायिक गतिशीलता को सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य अपने दायित्वों को भली भांति समझें और उनका निर्वहन करें। इस हेतु उनका प्रशिक्षण भी किया जाना आवश्यक है। प्रशिक्षण का क्रियान्वयन निम्नलिखित चरणों में प्रस्तावित है।

1. **मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण–** यह प्रशिक्षण जनपद स्तर में डायट में किया जायेगा। प्रशिक्षण में विकास खण्ड करछना के चार सन्दर्भ दाताओं को प्रशिक्षित किया जायेगा, जिसमें एक बी.आर.सी. समन्वयक और तीन ब्लाक रिसोर्स समूह के सदस्य होंगे।

2. **सन्दर्भदाताओं का प्रशिक्षण–** यह प्रशिक्षण विकास खण्ड में बी.आर.सी. पर मास्टर ट्रेनर्स द्वारा ग्राम प्रधानों तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयकों को दिया जायेगा। बी. आर.सी. में 30 प्रतिभागियों के हिसाब से 4 चक्रों में प्रशिक्षण पूरा किया जायेगा।

3. **ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण–** इनका प्रशिक्षण न्याय पंचायत स्तर पर होगा जिसमें न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयक तथा ग्राम प्रधान सन्दर्भदाता के रूप में कार्य करेंगे और ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। यह प्रशिक्षण 2 चक्रों में पूर्ण किया जायेगा। प्रत्येक चक्र में 20-25 सदस्य प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। विकास खण्ड के 71 ग्राम शिक्षा समिति में कुल 568 सदस्य वर्ष 2002, 2004, 2005, 2006-07, 2008-09 प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे जिनका विवरण सारणी 9.4 में दिया गया है।

   ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण इस प्रकार कराया जायेगा कि प्रत्येक सदस्य को 5 वर्षों में 2 बार प्रशिक्षण का अवसर मिले । वर्ष 2005 में नवीन ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को पुनः 5 वर्षों में 2 बार प्रशिक्षित किया जायेगा। विकास खण्ड स्तर पर चलने वाले प्रशिक्षण की व्यवस्था, प्रतिभागियों की उपस्थिति एवं अनुश्रवण का कार्य सम्बन्धित समन्वयक ब्लाक संसाधन केंद्र द्वारा किया जायेगा। इसी प्रकार एम.टी. ए., पी.टी.ए. के सदस्यों का भी प्रशिक्षण होगा ।

अध्याय-9

संस्थागत क्षमता विकास

गुणवत्ता संवर्धन एवं अकादमिक क्षमताओं का विकास

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये यह अति आवश्यक है कि विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत सभी अभिकर्मियों के लिये (स०वे०शि०अ०, बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० समन्वयक, प्रधानाध्यापक तथा अध्यापक/शिक्षा मित्र) प्रशिक्षण की एक सुदृढ़ व्यवस्था हो। इसके लिये प्रत्येक अभिकर्मी को नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण में बनाए गये क्रिया-कलापों का शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग कर सके इस हेतु प्रशिक्षण को अधिक से अधिक व्यावहारिक और सन्दर्भगत बनाने की प्रक्रिया को अपनाया जायेगा। प्रशिक्षण का अनुश्रवण करने का दायित्व विकास खण्ड स्तर पर स०वे०शि०अ० और बी०आर०सी० समन्वयकों का होगा। वे लोग विद्यालय भ्रमण की अवधि में केवल मौखिक रूप से मार्गदर्शन नहीं करेंगे अपितु कक्षा में जाकर स्वयं प्रदर्शन करके अध्यापकों की कठिनाइयों का निवारण करेंगे। एन०पी०आर०सी० समन्वयक अपने क्षेत्र के समस्त विद्यालयों में भ्रमण करेंगे और कक्षा शिक्षण का स्वयं प्रदर्शन करके अध्यापकों का मार्गदर्शन करेंगे। इससे उन कठिनाइयों का भी पता लग सकेगा जिनका अध्यापक कक्षा शिक्षण में अनुभव करते हैं। इसी के साथ-2 प्रशिक्षण को कक्षा और विद्यालय की परिस्थिति के अनुरूप बनाने में सहायता मिलेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव किया गया है कि स०वे०शि०अ०/प्र०उ०वि०अ० तथा बी०आर०सी० समन्वयकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर होगा और एन०पी०आर०सी० तथा अध्यापकों का प्रशिक्षण बी०आर०सी० पर किया जायेगा।

मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।

1. संस्थागत प्रबन्धन और सूचनाओं का प्रबन्ध–

यह प्रशिक्षण स.वे.शि.अ., बी.आर.सी. एवं एन.पी.आर.सी. समन्वयकों को दिया जायेगा, जो डायट स्तर पर होगा। अतः इसका बजट प्राविधान विकास खण्ड के प्लान में नहीं किया गया है।

2. अकादमिक प्रशिक्षण–

ए.पी.आर.सी. समन्वयकों, प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और सहायक अध्यापकों का प्रशिक्षण विभिन्न विषयों में किया जायेगा। इसमें बी.आर.जी. के सदस्य प्रशिक्षक के रूप में कार्य करेंगे। यह प्रशिक्षण पूर्णतः क्रिया आधारित और सहभागितापूर्ण होगा। इसका विस्तृत प्रस्ताव आगे दिया गया है।

3. सामुदायिक सहभागिता–

यह प्रशिक्षण प्रधानाध्यापकों, सहायक अध्यापकों और ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का होगा, जिसे न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण में संदर्भदाता के रूप में ब्लाक स्तर पर ब्लाक रिसोर्स ग्रुप के सदस्य और न्याय पंचायत स्तर पर एन.पी.आर.सी. समन्वयक होंगे।

तीनों क्षेत्रों में स.बे.शि.अ., बी.आर.सी. समन्वयक, तथा बी.आर.जी. के सदस्यों का प्रशिक्षण डायट/एस.सी.आर.टी/सीमैट में होगा।

प्राथमिक स्तर के प्रधानाध्यापकों / अध्यापकों का विषयगत प्रशिक्षण–

विकास खण्ड करछना में प्राथमिक स्तर पर कार्यरत अध्यापकों तथा एन.पी.आर.सी. समन्वयकों की संख्या 292 है। प्रत्येक विषय के प्रशिक्षण में एक चक्र में 30 प्रतिभागी के हिसाब से एक विषय का प्रशिक्षण 10 चक्रों में होगा। निम्नलिखित विषयों में नियमित और पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण इस प्रकार आयोजित किये जायेंगे कि प्रत्येक अभिकर्मी (प्र०अ०/स०अ०, एन०पी०आर०सी० समन्वयक) को दो वर्ष में एक बार प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिल सके।

सारिणी 9.1
प्राथमिक अध्यापकों का विषयगत प्रशिक्षण

क्र०	ब्लाक का नाम	भाषा	गणित	पर्यावरणीय अध्ययन
1.	करछना	10 चक्र	10 चक्र	10 चक्र

प्रशिक्षण की अवधि 6 दिवसीय होगी। प्रशिक्षण पूर्णतः आवासीय होगा और इस अवधि में प्रतिभागियों के भोजन आदि की व्यवस्था बी.आर.सी. पर होगी। प्रशिक्षण से सम्बन्धित समस्त सामग्री जिला परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी इस प्रशिक्षण में प्रतिभाग करेंगे

उच्च प्राथमिक के प्रधानाध्यापकों / अध्यापकों का विषयगत प्रशिक्षण–

विकास खण्ड स्तर पर इन प्रधानाध्यापकों / अध्यापकों की कुल संख्या 78 है। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम के एक चक्र में प्रतिभागियों को सम्मिलित किया जायेगा। इस प्रकार प्रत्येक विषय जिनके नाम नीचे दिये गये हैं, में 3-3 चक्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण होगा। प्रत्येक चक्र में प्रतिभागियों की संख्या 30 होगी।

सारणी 9.2
उच्च प्राथमिक अध्यापकों का विषयगत प्रशिक्षण

क्र०	ब्लाक का नाम	भाषा	गणित	विज्ञान	सामाजिक अध्ययन	अंग्रेजी
1.	करछना	3 चक्र	3 चक्र	3 चक्र	3 चक्र	3 चक्र

इस प्रशिक्षण में प्रयोग किये जाने वाला साहित्य वही होगा जो डायट अथवा उच्च स्तर पर प्रयोग में लाया गया होगा।

प्रशिक्षण अद्यतन बना रहे इसके लिये सतत् पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण के चक्र चलाये जायेंगे। ये चक्र इस प्रकार होंगे कि प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात प्रत्येक अभिकर्मी को प्रशिक्षण का अवसर पुनः मिल सके।

प्रत्येक प्रशिक्षण की अवधि 6 दिन की होगी और इस अवधि में आवास एवं भोजन की व्यवस्था बी.आर.सी. स्तर पर की जायेगी। प्रशिक्षण हेतु साहित्य, स्टेशनरी, पेड, पेन, चार्ट इत्यादि की व्यवस्था जिला परियोजना कार्यालय द्वारा की जायेगी। इस प्रशिक्षण में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी भी सम्मिलित होंगे

विद्यालय प्रबन्धन में प्रशिक्षण–

यह प्रशिक्षण प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के लिये होगा, इसमें ब्लाक रिसोर्स ग्रुप के सदस्य सन्दर्भदाता के रूप में कार्य करेंगे।

विकास खण्ड में उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक स्तर पर प्रधानाध्यापकों की संख्या 95 है। प्रत्येक चक्र में 30 प्रतिभागी के हिसाब से उक्त प्रशिक्षण को पूर्ण करने में कुल तीन चक्र लगेंगे। इस प्रशिक्षण की अवधि 4 दिन की होगी।

सामुदायिक सहभागिता प्रशिक्षण–

इस प्रशिक्षण में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य प्रतिभागी के रूप में होंगे। विकास खण्ड में इनकी कुल संख्या 568 है। प्रत्येक चक्र में 40 प्रतिभागी के हिसाब से उक्त प्रशिक्षण को पूर्ण करने में कुल 19 चक्र लगेंगे। यह प्रशिक्षण एन.पी.आर.सी. स्तर पर होगा और इसमें वर्किंग लन्च तथा चाय की व्यवस्था होगी। सन्दर्भ दाता के रूप में बी.आर.जी. और एन.पी.आर.सी. के समन्वयक रहेंगे। न्याय पंचायत वार विवरण इस प्रकार है–

सारणी 9.3
सामुदायिक सहभागिता

क्र०	न्याय पंचायत का नाम	संख्या ग्राम शिक्षा समिति सदस्य एम.टी.ए., पी.टी.ए.	चक्र की संख्या
1.	करछना	48	2
2.	घटवा	48	2
3.	बरदहा	64	2
4.	रोकड़ी	64	2
5.	धरवाग	56	2
6.	खाँई	40	1
7.	वीरपुर	64	2
8.	घोड़ेडीह	48	2
9.	डीहा	64	2
10.	पनासा	32	1
11.	बसही	40	1
	योग–	568	19

प्रशिक्षण के प्रबन्धन तथा प्रतिभागियों की उपस्थित सुनिश्चित करना उनके आवास भोजन जैसी अन्य व्यवस्थाओं का दायित्व बी.आर.सी. समन्वयकों का होगा।

उक्त के अतिरिक्त विद्यालय भवन में गुणवत्तापूर्ण निर्माण हेतु अवर अभियंता को भी प्रथम वर्ष में प्रशिक्षण दिया जायेगा । वार्षिक कार्य योजना एवं बजट निर्माण में विकास खण्ड योजना समिति के चार सदस्यों को प्रथम तीन वर्षों में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा । चूंकि विकास खण्ड स्तर पर भी विकास खण्ड के प्रत्येक विद्यालय की सांख्यिकी कम्प्यूटर द्वारा डाटा बेस निर्माण किया जायेगा । इस लिए विकास खण्ड के दो सदस्यों को इस क्षेत्र में एम.आई. एस. के आँकड़े संकलन एवं विश्लेषण हेतु प्रति एक वर्ष के अंतराल में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ।

विकास खण्ड के 71 ग्राम शिक्षा समिति में कुल 568 को वर्ष 2002, 2003, 2005 तथा 2008 में प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

परास्परिक प्रारम्भिक शिक्षा में कार्यरत सभी अभिकर्मियों की क्षमता को सम्वन्धित करने हेतु वर्ष वार निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किये जायेगे । इस प्रकार विभिन्न प्रशिक्षणों का वर्षवार विवरण निम्नांकित है :-

सारणी न.9.4

विभिन्न प्रशिक्षणेां के प्रतिभागियों का विवरण

क्रम.	नाम प्रशिक्षण	वर्ष								
		2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1.	अभिभावक/मातृ शिक्षण संघ प्रशिक्षण	568		568		568		568		568
2.	सदस्य ग्राम शिक्षा समिति	-	568		568	-	568		568	
3.	सेवापूर्ण स.अ.प्रा.वि. प्रशिक्षण	92	36	41	30	46	39	7	7	7
4.	सेवापूर्ण शिक्षा मित्र प्रशिक्षण	66	11	18	7	7	6	7	7	7
5.	सेवापूर्व प्र.अ. प्रा.वि. प्रशिक्षण	5	3	2						
6.	सेवापूर्व प्र.अ.उ.प्रा.वि. प्रशिक्षण	6	6	6	6	10	8			
7.	सेवा रत शिक्षा मित्र प्रशिक्षण	-	71	85	105	112	119	125	132	139
8.	सेवापूर्व इ.जे.एम. प्रशिक्षण	20	20	16		-				
9	पुनर्बोधात्मक शिक्षा मित्र प्रशिक्षण	155				119				146
10.	पुनर्बोधात्मक इ.जे.एम. प्रशिक्षण	-	-	-	-	56				56
11.	अवर अभियंता प्रशिक्षण	1								
12.	शिक्षकों का कम्प्यूटर प्रशिक्षण	16	22	28	34	40	50	58	58	
13.	संदर्भदाता प्रशिक्षण आई. ई.टी.	4								
14.	ब्लाक योजना निर्माण समिति प्रशिक्षण (डब्ल्यू.पी.बी.)	4	4	4		4		4		4
15	सूचना प्रबन्धन प्रशिक्षण (एम.आई.एस.	2	2	2	2	2	2	2	2	2

अध्याय-10

परियोजना प्रबन्धन एवं अनुश्रवण

विकास खण्ड स्तर पर चलने वाली समस्त शैक्षिक गतिविधियों का केन्द्र बी.आर.सी. होगा और न्याय पंचायत स्तर पर चलने वाली शैक्षिक गतिविधियों का केन्द्र एन.पी.आर.सी. होगा। समस्त गतिविधियों का सकुशल संचालन बी.आर.सी. और एन.पी.आर.सी. के उत्कृष्ट प्रबन्धन पर ही निर्भर होगा।

यह परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि 2001 से 2010 तक होगी। इस अवधि में 6-11 वय वर्ग के सभी बालक/बालिकाओं को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एवं उनका प्रबन्धन राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा सम्पादित किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एवं प्रबन्ध कौशल विकसित किये जाने का प्रस्ताव है।

क्षेत्रपंचायत स्तरीय समिति–

जिले की भांति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है। क्षेत्र पंचायत स्तर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित हैं–

1.	अध्यक्ष क्षेत्र समिति	अध्यक्ष
2.	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य, सचिव
3.	प्रति उपविद्यालय निरीक्षक	सदस्य
4.	विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान	सदस्य
5.	विकास खण्ड का एक वरिष्ठ प्रधानाध्यापक	सदस्य

अधिकार एवं दायित्व–

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना। जिला परियोजना के समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्रपंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

ग्राम शिक्षा समिति–

ग्राम स्तर पर यह समिति नीति निर्धारण के साथ-साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेगी। विद्यालय के विकास सम्बन्धी समस्त कार्य तथा विद्यालय परिषर में सुधार, विद्यालय भवनों का निर्माण, चहार दीवारी निर्माण, शैक्षणिक उपकरणों की आपूर्ति, विद्यालयों की स्वच्छता आदि कार्य इसी समिति की देख-रेख में सम्पन्न किये जायेंगे। उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त नामांकन, धारण, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की व्यवस्था करना इसी समिति का दायित्व है।

समिति का स्वरूप निम्नवत है–

1. ग्राम प्रधान – अध्यक्ष
2. प्रधानाध्यापक – सदस्य, सचिव
3. तीन अभिभावक जिसमें एक महिला होगी (सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत)

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारण्टी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एवं अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण इसी समिति का अधिकार एवं दायित्व दोनों है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यों, आंगनवाड़ी केन्द्रों के स्टाफ का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा किया जायेगा। छात्र वृत्तियों का वितरण, पोषाहार वितरण पर नियंत्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के प्रवेक्षण में किया जायेगा।

प्रशासनिक संगठन–ब्लाक स्तर–

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्रति उप-विद्यालय निरीक्षक जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षक व अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी परियोजना कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरदायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तदायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। सार रूप में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगे–

1. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।
2. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।
3. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसकी निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।
4. ब्लाक स्तर शैक्षिक आँकड़े एकत्रित कर संकलित करना।
5. खेलकूद, परीक्षा का समुचित संचालन करना।
6. शिक्षकों के लिए निर्धारित क्रिया कलापों का क्रियान्वयन सुनिश्चत कराना तथा उन पर समयक नियन्त्रण रखना।
7. सभी प्रकार की छात्र वृत्तियों का विवरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना
8. खाद्यान्न विवरण तथा उससे सम्बिन्धित सूचना संकलित कराना।
9. विद्यालयों का निर्रीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।
10 ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।
11. अध्यापकों तथा सेवा निवृत्त शिक्षकों के वेतन एवं पेशन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित कराना।

उपर्युक्त कार्यों के निस्तारण हेतु ब्लाक संसाधन केंद्र में इनका कार्यालय स्थापित किया जायेगा तथा 1 अतिरिक्त सहायक समन्वयक उनके कार्यों में सहायता हेतु नियुक्ति होंगे विद्यालयों के कुशल प्रबंधन एवं अनुश्रवण हेतु सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्धारित मानक के अनुसार 300 रू. प्रति विद्यालय प्रति वर्ष निरीक्षण तथा अनुश्रवण के निमित्त दिये जाने का प्रस्ताव है साथ ही साथ कार्यालयीय कार्य हेतु स्टेशनरी आदि सामान्य खर्चों के लिए निर्धारित 5000 रू. वार्षिक का प्रावधान किया गया है।

विकास खण्ड में कार्यरत प्रति उपविद्यालय निरीक्षक ई.जी.एस. तथा ए.आई.ई. के संचालन तथा अनुश्रवण हेतु उत्तदायी होंगे इन केंद्रों पर अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का विवरण तथा कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना समिति को उपलब्ध करायेंगे इस हेतु प्रति उपविद्यालय निरीक्षक को आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी। जिन विकास खण्डों में प्रति उपविद्यालय निरीक्षक कार्यरत नहीं है उन विकास खण्डों में वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए विकास खण्ड कार्यक्रम अधिकारी नियुक्ति किये जायेंगे

ब्लाक संसाधन केंद्र (बी.आर.सी.)–

इस जनपद में उ.प्र. बेसिक शिक्षा परियोजना से संचालित हो चुकी है और विकास खण्ड करछना में ब्लाक संसाधन केंद्र के भवन का निर्माण कराया जा चुका है परियेजना के अंतर्गत ब्लाक संसाधन केंद्र विद्युतिकृत एवं सुसज्जित है यहां समन्वयक भी नियुक्ति किये जा चुके हैं और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके हैं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुये ब्लाक संसाधन में एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजिक किया जायेगा जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की परियोजना का कार्यों के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करेंना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण में सहायता करेंगे ब्लाक स्तर पर सूचनाओं के संकलन एवं विश्लेषण के लिए एक कम्प्यूटर की व्यवस्था की जायेगी। कम्प्यूटर हेतु विद्युत की वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी, कम्प्यूटर के साथ एक लेजर प्रिन्टर होगा तथा तथा डेटाबेस बनाने तथा सूचनाओं को व्यवस्थित करने का कार्य किया जायेगा। आवश्यक धन का प्राविधान किया गया है। कम्प्यूटर पर कार्य करने के लिये सह-समन्वयक को सघन प्रशिक्षण दिया जायेगा।

कम्प्यूटर पर कार्य करने के लिए सह समन्वयक को सघन प्रशिक्षण दिया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व–

1. अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. विद्यालयों का एकडेमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं
3. विकास खण्डों की एकडेमिक आवश्यकताओं का ऑकलन एवं संकलन करना शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
4. ब्लाक स्तर पर एकडेमिक संसाधन समूह का गठन करना।
5. न्याय पंचायत संसाधन केंद्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
6. ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजना करना।

न्याय पंचायत संसाधन केंद्र (एन.पी.आर.सी.)-

इस ब्लाक में सभी 8 न्याय पंचायत संसाधन केंद्रो को निर्माण उ.प्र. बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत कराया जा चुका है इसे सुसज्जित किये जाने के साथ-साथ सकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व-

1. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना।
2. अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाईयों पर विचार विमर्श एवं उसका निराकरण करना।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षत करना।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।
5. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

PROJECT COST- KARCHANA

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention

Year	Amount					Percentage				
	Access	Retention	uality	Capacity	Total	Access	etention	Quality	Capacity	Total
2001-2002	7928.9	31169.052	5177.7	514	44789.65	17.70	69.59	11.56	1.15	100.00
2002-2003	10818.3	19631.29	5294.22	318.5	36062.31	30.00	54.44	14.68	0.88	100.00
2003-2004	13676.3	23665.602	10880.17	322.5	48544.57	28.17	48.75	22.41	0.66	100.00
2004-2005	15495.3	23488.14	5456.55	325.5	44765.49	34.61	52.47	12.19	0.73	100.00
2005-2006	21067.3	29180.502	6094.07	330.5	56672.37	37.17	51.49	10.75	0.58	100.00
2006-2007	23507.3	32319.49	5777.65	334.5	61938.94	37.95	52.18	9.33	0.54	100.00
2007-2008	20403.3	30344.052	5880.65	334.5	56962.50	35.82	53.27	10.32	0.59	100.00
2008-2009	20403.3	30912.8	6061.92	334.5	57712.51	35.35	53.56	10.50	0.58	100.00
2009-2010	20403.3	31463.352	6729.15	334.5	58930.30	34.62	53.39	11.42	0.57	100.00
Total	**153703.3**	**252174.3**	**57352.1**	**3149**	**466378.65**	**32.96**	**54.07**	**12.30**	**0.68**	**100.00**
Percentage	**32.96**	**54.07**	**12.30**	**0.68**	**100.00**	**32.96**	**54.07**	**12.30**	**0.68**	**100.00**

Summary Table
Civil Work & Management Cost
PROJECT COST- KARCHANA
2001-2010 (In thousands)

Heads - Civil	Amount	Heads- Management	Amount
New Primary School Unserved	2590		
New Upper Primary Schools	14196		
Reconstruction - PS	0		
Reconstruction - UPS	0		
Repair - Minor	680		
Repair Major	630		
Additional Classroom Primary Schools	24150		
Addl. Classroom Upper Primary Schools	11970		
Toilets	90		
Drinking Water	612		
Boundary Walls (PS + UPS) Girls Schools	4720		
Civil Works (one additional room)ECCE	0		
		Monitoring & Supervision per school - ABSA	432.9
		Contigency - ABSA	45
Total	59638		477.9
Percentage(of Civil & Management of the whole project of total project cost)	12.8		0.1
Total Project Cost		**466378.65**	

Year-Wise Distribution of
Civil & Management Cost
(In thousands)

Year	Civil	Management
2001-2002	22755	44.9
2002-2003	8255	47.6
2003-2004	8126	50
2004-2005	4618	51.8
2005-2006	7090	54.8
2006-2007	5854	57.2
2007-2008	980	57.2
2009-2010	980	57.2
Total	59638	477.9
Percentage	12.79	0.10

PROJECT COST- KARCHANA
SARVA SHIKSHA ABHIYAN

(In thousands)

S.N.	Heads/Sub Heads Activity	Unit	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-20010		Total	
		Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
																					0	
A	ACCESS																				0	
A1	New Primary School Unserved	259	5	1295	3	777	2	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2590
1	New Upper Primary Schools	338	6	2028	6	2028	6	2028	6	2028	10	3380	8	2704	0	0	0	0	0	0	42	14196
2	Salary of PS Asst Teacher-New School(2 no')	9 2	10	1104	16	1766 4	20	2208	20	2208	20	2208	20	2208	20	2208	20	2208	20	2208	166	18326 4
3	Salary of Teacher in UPS(3 no) in new school	6 5	24	1872	48	3744	72	5616	96	7488	136	10608	168	13104	168	13104	168	13104	168	13104	1048	81744
4	HT of new UPS	7 5	6	540	12	1080	18	1620	24	2160	34	3060	42	3780	42	3780	42	3780	42	3780	262	23580
5	Furniture/Fixture & Equipment																				0	
	PS	15	5	75	3	45	2	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	150
	UPS	50	6	300	6	300	6	300	6	300	10	500	8	400	0	0	0	0	0	0	42	2100
A2	Upgradation of EGS(TLE) tp PS	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total																					
	Interventions for out of school children																					
A3	Alternative Schools																					
	EGS	0 705	600	423	1200	846	1680	1184 4	1680	1184 4	1680	1184 4	1680	1184 4	1680	1184.4	1680	1184 4	1680	1184 4	13560	9559 8
	Primary-including all models of DPEP(per child)- Shiksha Ghar	0 705	180	126 9	180	126 9	180	126 9	180	126 9	180	126 9	180	126 9	180	126 9	180	126 9	180	126 9	1620	1142 1
	Upper Primary	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Back to school campaign(per child)	1 5	2	120	1	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	180
A5	Bridge/Remedial course(per child)	1 5	1	45	1	45	1	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	135
A6	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15 35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ACCESS Subtotal		0	7928 9	0	10818 3	0	13676.3	0	15496 3	0	21067.3	0	23507 3	0	20403.3	0	20403 3	0	20403 3	0	153703 3

PROJECT COST

SARVA SHIKSHA ABHIYAN

(In thousands)

S.N.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-20010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
R	RETENTION																					
	Reconstruction - PS	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reconstruction - UPS	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Repair - Minor	20	20	400	14	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	680
	Repair Major	70	5	350	4	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	630
	Additional Classrooms																					
	Additional Classroom Primary Schools	70	207	14490	23	1610	34	2380	13	910	13	910	13	910	14	980	14	980	14	980	345	24150
	Addl Classroom Upper Primary Schools	70	27	1890	24	1680	24	1680	24	1680	40	2800	32	2240	0	0	0	0	0	0	171	11970
R1	Toilets	10	9	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	90
R2	Drinking Water	18	34	612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	612
R3	Repair & Maintenance of School	5	122	610	133	665	142	710	150	750	156	780	166	830	174	870	174	870	174	870	1391	6955
R3-1	Boundary Walls (PS + UPS) Girls Schools	40	40	1600	40	1600	38	1520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	4720
R4	Salary of Addl Teachers PS@4 6 pm	4 6	66	3643 2	78	4305 6	95	5244	101	5575 2	107	5906.4	114	6292 8	121	6679 2	128	7065 6	135	7452	945	52164
R4-1	Salary of Shiksha Mitra PS@2 25 pm	2 25	66	1633 5	77	1905 75	95	2351	102	2524 5	109	2697.75	115	2846.25	122	3019 5	129	3192 75	136	3366	951	23537 25
R5	Salary of Addl Teachers UPS@6 5 pm	78	32	2496	62	4836	92	7176	122	9516	170	13260	210	16380	210	16380	210	16380	210	16380	1318	102804
R6	School Improvement grant(p a /school)	2	122	244	133	266	142	284	150	300	156	312	166	332	174	348	174	348	174	348	1391	2782
R7	Innovative Programmes (per district)	5000																				
	Promoting Girls Education		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summer Camps	50	1	50	0	0	1	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100
	MCDA	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	9	450
	Gender Sensitization(VEC)	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	9	450
	SUPW for Girls	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	9	450
	Trg /Refresher courses for Gender Coordinators	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R8	Opening of ECCE centers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R9	Strengthening ICDS centers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R10	Development & Distribution of ECCE Materials																					
1	Civil Works (one additional room)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	TLM(per center)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Additional Honr. Of Instructor + Worker(per mth.)	0 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Contigency(per center)	1 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Training (at BRC)																					
	Induction	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recurring	1 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(In thousands)

S.N.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-20010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	Community Mobilization																					
1	MTA/PTA training for 2 days	0 007	568	7 952	0	0	568	7 952	0	0	568	7 952	0	0	568	7 952	0	0	568	7.952	2840	39 76
2	Kala Jatha (VEC Block Level & Dist Level)/NPRC	10	11	110	11	110	11	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	330
3	Development of Awareness Material/block	5	1	5	1	5	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15
4	Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	11	55	11	55	11	55	11	55	11	[illegible]	11	55	11	55	11	55	11	5	99	495
5	Production of Audio Tapes(10 per dist.)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Production of Video Tapes(per district)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day	0 03	0	0	568	17 04	0	0	568	17.04	0	0	568	17 04	0	0	568	17 04	0	0	2272	68 16
8	Assistance to NGO for Community Mobilization		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Award to Best Shiksha Mitra	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	9	45
11	Special Interventions for SC/ST children(work exp.)/NPRC	10	11	110	11	110	11	110	11	110	11	110	11	110	11	110	11	110	11	110	99	990
12	Remedial Teaching for SC/ST children		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Assistance to NGOs, for SC/ST education		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Provision for disabled children/child	1 2	177	212 4	177	212 4	177	212 4	177	212 4	177	212 4	177	212 4	177	212 4	177	212 4	177	212 4	1593	1911 6
15	Assistance to NGOs for integrated/inclusive edn /child	1 2	40	48	40	48	40	48	40	48	40	48	40	48	40	48	40	48	40	48	360	432
16	Computer Edu For UPS(equip)/UPS	60	22	1320	6	360	6	360	6	360	10	600	8	480	0	0	0	0	0	0	58	3480
17	School Health Check up/School	2 5	122	305	133	332 5	142	355	150	375	156	390	166	415	174	435	174	435	174	435	1391	3477 5
18	Book Bank in school/school	6	122	732	133	798	142	852	150	900	156	936	166	996	174	1044	174	1044	174	1044	1391	8346
	RETENTION Sub Total		0	31169.05	0	19631.29	0	23665.602	0	23488.1	0	29180.5	0	32319.5	0	30344.1	0	30912.8	0	31463.4	0	252174.27

PROJECT COST

SARVA SHIKSHA ABHIYAN

(In thousands)

S.N.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-20010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
Q	QUALITY IMPROVEMENT																					
Q1	Training Programmes																					
1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	0.07	66	138.6	11	23.1	18	37.8	7	14.7	7	14.7	6	12.6	7	14.7	7	14.7	7	14.7	136	285.6
2	Induction Trg. For Asst Teacher(/person for 30 days)	0.07	92	193.2	36	75.6	41	86.1	30	63	46	96.6	39	81.9	7	14.7	7	14.7	7	14.7	305	640.5
3	Induction Trg. For Head Teacher(PS)(/person for 20 days)	0.07	5	7	3	4.2	2	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	14
4	Induction Trg. For Head Teacher(UPS)(/person for 20 days)	0.07	6	8.4	6	8.4	6	8.4	6	8.4	10	14	8	11.2	0	0	0	0	0	0	42	58.8
5	In-service Teachers Trg (/person for 20 days)	0.07	359	502.6	462	646.8	507	709.8	556	778.4	592	828.8	648	907.2	695	973	702	982.8	709	992.6	5230	7322
6	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0	71	99.4	85	119	105	147	112	156.8	119	166.6	125	175	132	184.8	139	194.6	888	1243.2
7	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	20	42	20	42	16	33.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	117.6
8	Refresher course for Shiksha Mitra(/person for 20 days)	0.07	0	0	155	217	0	0	0	0	119	166.6	0	0	0	0	0	0	146	204.4	420	588
9	Refresher course of EGS/AIE workers(person for 20 days)	0.07	0	0	0	0	0	0	56	78.4	0	0	0	0	0	0	0	0	56	78.4	112	156.8
10	Trg. Of BRC coordinators(/person for 20 days)-Indc	0.07	3	4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4.2
11	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 20 days)-Indc	0.07	11	15.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	15.4
12	Refresher Trg. for BRC coordinators	0.07	0	0	3	4.2	0	0	3	4.2	0	0	3	4.2	0	0	3	4.2	0	0	12	16.8
13	Refresher Trg. for NPRC coordinators	0.07	0	0	11	15.4	0	0	11	15.4	0	0	11	15.4	0	0	11	15.4	11	15.4	55	77
14	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	4	5.6	0	0	0	0	4	5.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	11.2
15	Staff Development Trg. For DIETs		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	BRC/NPRC coordinators Mgt. Trg By SIEMAT /person for 20 days	0.07	12	16.8	0	0	0	0	12	16.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	33.6
17	ABSA/SDI Trg (/person for 5 days)	0.07	2	0.7	0	0	0	0	2	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1.4
18	Trg. For AE/JE(/person for 5 days)	0.07	1	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.35
19	Teacher Trg. In computer (UPS)/DIET faculty(per person)	1.5	16	24	22	33	28	42	34	51	40	60	50	75	58	87	58	87	58	87	364	546
20	Orientation of VEC(/person for 2 days)	0.07	0	0	668	79.52	568	79.52	0	0	568	79.52	0	0	0	0	568	79.52	0	0	2272	318.08
21	Trg. Of RCI(IED)(45 days)	70.0	4	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	280
22	Teacher Orientation in IED(/person for 5 days)	0.07	514	179.9	174	60.9	59	20.65	69	24.15	859	300.65	63	22.05	53	18.55	14	4.9	987	345.45	2792	977.2
23	AWPB Review & Trg. Of Plg Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	4	10	4	10	4	10	0	0	4	10	0	0	4	10	0	0	4	10	24	60
24	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	18	36

(In thousands)

S.N.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-20010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
Q2	Teacher Learning Material																					
1	Teacher Grant (PS)	0 5	578	289	607	303 5	646	323	659	329 5	672	336	685	342 5	699	349 5	713	356 5	727	363 5	5986	2993
2	Teacher Grant (UPS)	0 5	110	55	140	70	170	85	200	100	250	125	290	145	290	145	290	145	290	145	2030	1015
3	Free Text book to SC/ST children & girls	0 15	16593	2488 95	17554	2633 1	50531	7579 65	18613	279 1 95	19021	2853 15	19455	2918 25	19892	2983 8	20338	3050 7	20793	3118 95	202790	30418 5
4	Supplementary reading Material(PS)	0 05	14442	722 1	14772	738 6	29882	1494 1	15456	772 8	15801	790 05	16171	808 55	16542	827 1	16921	846 05	17308	865 4	157295	7864 75
5	Supplementary reading Material(UPS)	0 05	2151	107 55	2782	139 1	3095	154 75	3157	157 85	3220	161	3248	162 4	3550	177 5	3417	170 85	3485	174 25	28105	1405 25
6	School Library	0 15	133	19 95	142	21 3	150	22 5	156	23 4	166	24 9	174	26 1	174	26 1	174	26 1	174	26 1	1443	216 45
7	Printing & Distribution of Syllabus		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Printing & Distribution of Trg Modules		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Printing & Distribution of Trainers Guides		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Printing & Dist of Teachers Guides (PS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Printing & Dist of Teachers Guides (UPS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Dev Printing & Dist of AS Trg Modules		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	9	135
14	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7 5	1	7 5	1	7 5	1	7 5	1	7 5	1	7 5	1	7 5	1	7 5	1	7 5	1	7 5	9	67 5
15	Schools Awards	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Research Evaluation,Seminars & Workshops/school	0 3	133	39 9	142	42 6	150	45	156	46 8	166	49 8	174	52 2	174	52 2	174	52 2	174	52 2	1443	432 9
	QUALITY Sub Total		0	5177 7	0	5294.22	0	10880.17	0	5456 55	0	6094.07	0	5777.65	0	5880.65	0	6061.92	0	6729 15	0	57352.08

PROJECT COST

SARVA SHIKSHA ABHIYAN

(In thousands)

S.N.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-20010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
C	CAPACITY BUILDING																					
C1	DIET Capacity Building																					
	Furniture	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Equipments (including audio visual)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Computers Work Station	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vechicle (where applicable)	350	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hiring	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	POL	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maintenance of Vehicle	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Research/Action Research	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Faculty Development	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Exposure Visit	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Library	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Consumable/Computer Stationary	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subtotal																					
C2	Block Resource Center																					
1	Civil Construction	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Salary Coordinator @ of 6.5 for 12 mths	6 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Asstt Coordinator (2 no.) @5.5 for 12 mths	5.5	1	66	1	66	1	66	1	66	1	66	1	66	1	66	1	66	1	66	9	594
4	Chokidar one no for 12 mths @ 3 0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Equipment/Furniture	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Travelling Allovzance	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	9	90
7	Maintenace of Equipment	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9
8	Maintenace of Building	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	9	54
9	Books	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	9	90
10	Consumables	5 0	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	9	45
11	Contigency	12	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12	9	108
12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0 3	12	3 6	12	3 6	12	3.6	12	3 6	12	3 6	12	3.6	12	3.6	12	3 6	12	3 6	108	32 4
13	Monitoring & Supervision per school - ABSA	0 3	133	39 9	142	42 6	150	45	156	46 8	166	49 8	174	52 2	174	52 2	174	52 2	174	52 2	1443	432 9
14	Contigency - ABSA	5.0	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	9	45

(In thousands)

S.N.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-20010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
C3	School Complex (NPRC)																					
	Construction	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salary Co-ordinator @6 5 for 12 mths	6.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Equipment/Furniture	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Books for Library/Book Bank	5	11	55	11	55	11	55	11	55	11	55	11	55	11	55	11	55	11	55	99	495
	Contingency	2.5	11	27.5	11	27.5	11	27.5	11	27.5	11	27.5	11	27.5	11	27.5	11	27.5	11	27.5	99	247.5
	Monthly Review/ Meeting at CRC/meeting(11*12)	0.2	132	26.4	132	26.4	132	26.4	132	26.4	132	26.4	132	26.4	132	26.4	132	26.4	132	26.4	1188	237.6
	Monitoring & Supervision per school	0.2	133	26.6	142	28.4	150	30	156	31.2	166	33.2	174	34.8	174	34.8	174	34.8	174	34.8	1443	288.6
C4	District Project Office																					
	Staffing																					
	Coordinators-4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Consultants-2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Computer Operators - 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Driver-(if vehicle is purchased)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Equipment	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Furniture/Fixtures	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Books	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Purchase of Vechicle (Kanpur & Lko)	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Motercycle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Traveling Allowances	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Consumables	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Telephone/FAX	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Vechilce Maintenance & POL	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Salary of Driver		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Maintenance of Equipment	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Hiring of Vehicle	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Supervision & Monitoring per school	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Contingency	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Research & Evaluation per school	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total																					
C4-1	MIS																					
1	MIS Cell Furnishing	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Salary of Computer Operator for 12 mths 7 thousands	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MIS Equipments (where applicable)	200	1	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200
4	Prining & Distribution of Data Formats	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Maint of Equip & Consumables	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	9	180
	CAPACITY Sub Total		0	514	0	318.5	0	322.5	0	325.5	0	330.5	0	334.5	0	334.5	0	334.5	0	334.5	0	3149
	GRAND TOTAL		0	44789.7	0	36062.3	0	48544.57	0	44765	0	56672.4	0	61939	0	56963	0	57713	0	58930	0	466378.65